

Electricity Consumer Grievance

Redressal Forum

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,

Uttarkashi - 249193

Ph: +91 7895754011, 9412139791

E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी

पिन:-249193

दूरभाष:-+917895754011, 9412139791

ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-151/2024

दिनांक:- 14.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)

श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राजवीर सिंह, ग्राम सिंगोट पो0 न्यूबरसाली डुण्डा उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री राजवीर सिंह, ग्राम सिंगोट पो0 न्यूबरसाली डुण्डा उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-14/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यू0के14117415155 पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अधिक निर्गत किए जा रहे हैं। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए पत्रांक 117/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से विपक्षी/विभाग को नोटिस भेजा गया और दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों एवं आपत्तियों के साथ मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 372/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 23.11.2024 के माध्यम से आख्या पेश की और अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का बिल दिनांक 19.11.2008 से 10.05.2023 तक आई0डी0एफ पर निर्गत हो रहे थे, तथा इसके बाद के समस्त बिल एम0यू0 पर आधारित हैं। शिकायतकर्ता का बिल दिनांक 27.03.2022 में रु0 97173.00 (सत्तानवे हजार एक सौ तिहत्तर) से संशोधित कर रु0 16417.00 (सोलह हजार चार सौ सत्रह) बना दिया गया था, परन्तु उपभोक्ता द्वारा उक्त संशोधित बिल जमा नहीं किया गया।

Kindly proceed
14/02/2025

क्रमशः 2.....

SSH
14/2/25

14/02/2025

वर्तमान में उपभोक्ता पर रु0 34454.00 (चौतीस हजार चार सौ चौवन) का बिल बकाया है। सुनवाई के दौरान परिवादी ने विपक्षी पर खपत से ज्यादा बिल निर्गत करने और सही रीडिंग पर बिल संशोधित करने की बात दोहराई।

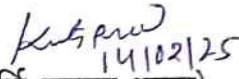
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत परिवादी कंज्यूमर हिस्टरी का अवलोकन किया तो पाया कि परिवादी को जारी आईडीएफ बिल संशोधन योग्य हैं। मंच ने सुनवाई के दौरान ही विपक्षी को माननीय आयोग के विनियमों के अनुसार आईडीएफ के बिल संशोधित करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान ही विपक्षी ने एक और आख्या मंच के समक्ष पेश की गयी और अवगत कराया गया कि परिवादी के वर्तमान बकाया बिल रु0 34454.00 (चौतीस हजार चार सौ चौवन) को संशोधित कर रु0 19968.00 (उन्नीस हजार नौ सौ अड़सठ) का बनाते हुए खंड कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही को प्रेषित कर दिया है। चूंकि, विपक्षी ने परिवादी के आईडीएफ बिलों को संशोधित कर दिया है। इसका लिखित कथनपत्र भी विपक्ष ने मंच के समक्ष पेश किया है। ऐसे में विपक्षी ने परिवाद की ज्यादा बिल वाली समस्या का समाधान कर दिया है। मामले को आगे ले जाना अब उचित नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी की अधिक बिल संबंधी शिकायत का समाधान कर देने से परिवाद निस्तारित किया जाता है। साथ ही विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वह परिवाद को लेकर अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

परिवाद संख्या-156/2024

दिनांक:-14.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विजय लाल पुत्र श्री पदम लाल, ग्राम/पो0 माजफ प्रतापनगर टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री विजय लाल पुत्र श्री पदम लाल, ग्राम/पो0 माजफ प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित लम्बगांव शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उन्हें विद्युत संयोजन संख्या टी0एच11053104222 पर विद्युत बिल के सापेक्ष माह मार्च 2024 में ₹0 5000.00 (रुपये पांच हजार) और इससे पूर्व ₹0 10000.00 (रुपये दस हजार) जमा किए गए थे, लेकिन उनका बिल सही होकर नहीं आया है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष सही बिल दिया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही शिविर के दौरान उपस्थित विपक्षी/विभाग को दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई में अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों के साथ मंच में रखने के आदेश दिए। दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत वाद को लेकर समय मांगा गया। मंच द्वारा 08.01.2025 की तिथि सुनवाई के लिए नियत की गई। लेकिन 07.01.2025 को माननीय आयोग द्वारा महत्वपूर्ण बैठक आयोजित किए जाने के कारण प्रस्तुत परिवाद में 03.01.2025 की तिथि नियत की गई। नियत तिथि को विपक्षी द्वारा परिवाद को लेकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया। साथ ही उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री एवं संशोधित बिल की आख्या पेश की गयी। मंच द्वारा प्रस्तुत विपक्षी की कार्यवाही से परिवादी को अवगत कराया गया। इसके साथ ही प्रस्तुत परिवाद की अन्तिम सुनवाई को 20.01.2025 की तिथि तय की गई। सुनवाई के दिन परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर की गई।

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी ने अधिक बिल आने, पैसा जमा करने के बाद भी बिल कम न होने तथा तीन चार साल तक कनेक्शन अस्थायी रूप से कटा रहा, की शिकायत की गई। सुनवाई के दौरान विपक्षी ने कहा कि

14/02/25

14/02/2025

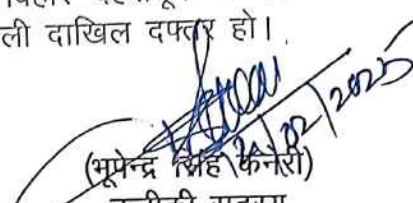
14/02/25

परिवादी ने 29.03.2024 को रुपये 5000 तथा 22.03.2023 को रुपये 9000 जमा किए गए हैं। परिवादी को भेजे गए एनए के समस्त बिल संशोधित कर बिल 12195 रुपये से संशोधित कर -638 रुपये कर दिया है। चूंकि, विपक्षी ने परिवादी को जारी आर0डी0एफ एवं एन0ए0 के बिलों को समायोजित कर बिल रु0 12195.00 (रुपये बारह हजार एक सौ पचानवे) से संशोधित कर रु0 -638.00 (ऋणात्मक छः सौ अड़तीस) बना दिया गया, जो कि परिवादिनी द्वारा जमा करना शेष है। परिवादी की शिकायत है कि उनके द्वारा जमा रु0 5000.00 (रुपये पांच हजार) और 9000 का समायोजन नहीं किया गया है जबकि विपक्षी/विभाग ने परिवादी के बिल में उक्त जमा धनराशि को समायोजित कर दिया है। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी की अधिक बिल वाली समस्या का समाधान कर दिए जाने के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह खटेरी)
कनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

दिनांक:- 13-02-2025

परिवाद संख्या-169/2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित:

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मनोज चौहान पुत्र श्री महावीर चौहान,
प्रतिनिधि श्रीमती चंद्री देवी ग्राम काण्डा पो0 देवधार प्रतापनगर टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री मनोज चौहान पुत्र श्री महावीर चौहान प्रतिनिधि श्रीमती चंद्री देवी ग्राम काण्डा पो0 देवधार प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित लम्बगांव शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनकी माता के नाम दर्ज विद्युत संयोजन संख्या टी0एच21044041240 पर विद्युत बिल तकनीकी खराबी के कारण ज्यादा आया था जिसकी सूचना उनके द्वारा विभाग को दी गयी। जिस पर विभाग द्वारा मार्च फाइनल में आधा बिल जमा करने को कहा गया जिसे उनके द्वारा जमा कर दिया गया था। आधा बिल जमा करने पर भी उनका आधा बिल सही नहीं किया गया और आई0डी0एफ के आधार पर बिल लगातार दिए गए जिससे वर्तमान बिल की धनराशि बढ़ गयी। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर बिल की धनराशि को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा शिविर के दौरान उपस्थित विपक्षी/विभाग को उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या दिनांक

13/02/25

13/02/2025

Page 1 of 4

18.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने के निर्देश दिए गए। दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 228/वि0वि0उ0ख0प्र0 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता का बिल मीटर यूनिट पर आधारित है, एवं संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

मंच ने प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया और उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने पर पाया गया कि परिवादी ने ज्यादा बिल आने, भुगतान के बावजूद बिल संशोधित न करने तथा आईडीएफ बिलों को संशोधन की मांग की गई। परिवादी ने प्रार्थनापत्र में 10 मार्च 2021 में जमा 11005 रुपये की रसीद भी मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके विपरीत विभाग ने मंच के समक्ष लिखित कथन किया कि परिवादी का मीटर ठीक होने और बिल मीटर यूनिट पर निर्गत हो रहे हैं। जबकि विभाग के इस कथन के विपरीत मंच ने कंज्यूमर हिस्ट्री में यह पाया कि उपभोक्ता को दिनांक 04.07.2014 से 02.09.2015 और 31.08.2016 से 17.04.2022 तक आईडीएफ बिल प्रेषित किए गए हैं, जो कि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों का घोर उल्लंघन है। मंच का मत है कि विपक्षी ने परिवादी को नियम के विपरीत गलत बिल जारी करने के बाद जब मामला संज्ञान में आया तो भी परिवादी का बिल नियमानुसार संशोधित नहीं किया है।

इसके अलावा कंज्यूमर हिस्ट्री में यह भी देखा गया कि विपक्षी ने परिवादी को अलग अलग माह में दोगुने से तीन गुने तक बिल जारी किए गए हैं, जो कि परिवादी की वास्तविक खपत से अप्रत्याशित अधिक प्रतीत हो रही है। जबकि ज्यादा खपत होने पर परिवादी के स्वीकृत भार में कोई इजाफा नहीं दिख रहा है। यही नहीं विपक्षी ने परिवादी को 40 से ज्यादा आईडीएफ, एनआर और एनए के बिल लगातार निर्गत किए गए। किन्तु इनका कोई समायोजन नहीं दिया गया। ऐसे में साफ है कि विपक्षी ने मंच को अंधेरे में रख परिवादी को सही बिल निर्गत करने का झूठा लिखित कथन किया है। यह विपक्षी की कार्य के प्रति गंभीर और घोर लापरवाही प्रदर्शित करती है। परिवादी का यह कृत्य न केवल अक्षम्य है बल्कि उपभोक्ताओं की सेवाओं में अनदेखी का भी पुख्ता प्रमाण है।

अतः प्रस्तुत परिवाद में मंच का यह मत है कि विपक्षी उपभोक्ता के दिनांक 01.05.2014 और 04.07.2014 के बिलों को उपभोक्ता के पूर्व तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर संशोधित करना एवं उपभोक्ता को दिनांक 19.08.2014 से 26.05.2016 और 31.08.2016 से 17.04.2022 तक लगातार जारी आईडीएफ के बिल निरस्त करना विनियमों के अनुरूप हैं। इस बीच मीटर यूडीसी के बावजूद 24.06.2016 तथा 31.08.2016 के दो बिल मीटर यूनिट पर आने तथा इस दौरान खपत करीब 1790 यूनिट आने से भी विपक्षी के बिलिंग व्यवस्था पर सवाल उठाने लाजमी हैं।

3/11/25
13/02/25

13/02/2025

13/02/25

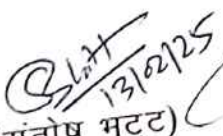
उपभोग के आधार पर की जायेगी (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार)। ये प्रभार केवल उस अधिकतम दो बिलिंग चक्रों हेतु यदि केवल द्विमासिक बिलिंग के मध्य हो, उद्ग्रहणीय होंगे, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर बदला जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को सही किये गये मीटर के बिना बिल जारी करने का अधिकार नहीं है। त्रुटिपूर्ण मीटर के मामले यथा IDF तथा ADF तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग मामले तथा RDF की जांच व बदलने का कार्य, लागू विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

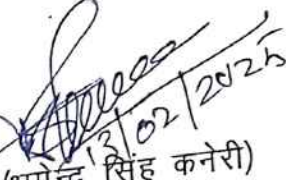
उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

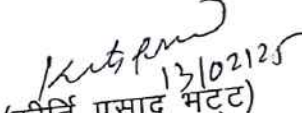
:: आदेश ::

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि माननीय आयोग के उपरोक्त विनियम के अनुसार परिवादी का बिल संशोधित कर सही बिल निर्गत करें। साथ ही अनुपालन आख्या मंच में 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है।

दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य



Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,
Uttarkashi - 249193

Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193

दूरभाष:-+917895754011, 9412139791

ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-176/2024

दिनांक:- 14.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)

श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री शिवनाथ उर्फ शिवलाल पुत्र श्री जितरु, ग्राम पोखरि पो0 मुखेम प्रतापनगर टिहरी।
परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।
विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री शिव नाथ पुत्र श्री जितरु, ग्राम पोखरी पो0 मुखेम प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित लम्बगांव शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उन्होंने विद्युत संयोजन संख्या टी0एच11153002409 के सापेक्ष दिनांक 14.03.2024 को रु0 5000.00 (रुपये पांच हजार) जमा किये गये थे लेकिन उनका बिल सही होकर नहीं आया है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही शिविर के दौरान उपस्थित विपक्षी/विभाग को दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विभागीय आख्या पेश करने के निर्देश दिए गए। नियत तिथि को विपक्षी का आधा-अधूरा जवाब प्राप्त हुआ। मंच ने परिवादी की अधिक बिल और बकाया जमा करने के बावजूद बिल सही न करने संबंधी समस्या का नियमानुसार निस्तारण कर 08.01.2025 तक जवाब मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इस बीच माननीय आयोग द्वारा दिनांक 07.01.2025 को देहरादून में एक दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आहुत किए जाने पर मंच ने परिवाद की सुनवाई की तिथि दिनांक 08.01.2025 के स्थान पर दिनांक 03.01.2025 को नियत की गई। दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 235/वि0वि0उप0प्र0 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि उक्त संयोजन पर सभी बिल मीटर यूनिट पर बने हैं एवं संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपभोक्ता की शिकायत है कि उसके द्वारा दिनांक 14.03.2024 को जमा धनराशि रु0 5000.00 (रुपये पांच हजार) का समायोजन नहीं

14/02/25

14/02/2025

क्रमशः 2.....
14/02/25



किया गया है। मंच द्वारा उक्त संयोजन की कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन करने पर पाया कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 14.03.2024 को रु0 5000.00 (रुपये पांच हजार) जमा किए गए थे, जो कि कंज्यूमर हिस्ट्री में दिनांक 28.03.2024 को समायोजित कर दी गई है। यह बात विपक्षी ने सुनवाई के दौरान भी मंच को अवगत कराई गई। साथ ही विपक्षी ने परिवादी को जारी एनए के बिलों को संशोधित कर दिनांक 24.11.2024 के बिल में 1736.27 रुपये का समायोजन दे दिया है। हालांकि परिवादी ने उपभोक्ता को दिनांक 20.02.2010 से 13.10.2015 तक ए0डी0एफ और आई0डी0एफ के बिल निर्गत किए गए हैं। जिनका समायोजन परिवादी के बिल में कहां दिया गया, इसका जिक्र नहीं है। इसके अलावा परिवादी का दिनांक 29.12.2015 को चेंज किए गए मीटर का पूरा विवरण भी स्पष्ट नहीं दिया गया है। उपरोक्त परिचर्चा के बाद मंच विपक्षी को हिदायत देता है कि वह परिवादी को समय पर सही बिल निर्गत करें तथा मीटर चेंज करने से लेकर अन्य जानकारी कंज्यूमर हिस्ट्री में स्पष्ट उल्लेख करें। प्रस्तुत मामले में मंच का मत है कि उपभोक्ता को दो से अधिक ए0डी0एफ और आई0डी0एफ के बिल प्रेषित करना माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का उल्लंघन है। अतः उपभोक्ता का दिनांक 20.02.2010 और 22.04.2010 का बिल पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित कर एवं दिनांक 16.06.2010 से 13.10.2015 तक के बिल निरस्त करना न्यायोचित होगा। निरस्त किए गए बिलों में किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी/विभाग निम्नलिखित आदेशों के आधार पर उपभोक्ता को सही संशोधित बिल दें।

यह आदेश पारित करने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 में और टैरिफ आदेश के अनुसार दिए गए हैं जो कि नीचे वर्णित हैं-

4. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, के 3.2 (त्रुटिपूर्ण/अटकें हुए/रुके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में बिलिंग) विनियम में यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक एन0आर0/आर0डी0एफ/आई0डी0एफ के बिल प्रेषित नहीं किए जा सकते हैं।

5. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 के 5.1.4 Meter not recording

(1) *If the meter is not displaying/not recording/stuck as reported by the consumer the Licensee shall check the meter within 30 days of receipt of complaint and if found not displaying/not recording/stuck or identified as defective (IDF), the meter shall be replaced by the Licensee within 15 days thereafter.*

(2) *Where the Licensee observes that meter is not recording any consumption for the last one billing cycle or appears defective (ADF), he shall notify the consumer through email. SMS etc. Thereafter, the Licensee shall check the meter within 30 days and if the meter is found stuck/stopped/defective, the meter shall be replaced within 15 days.*

(3) *Where the Licensee observes that current reading is lower than the previous reading (RDF), which is possibly due to current reading being less than actual, or previous reading being higher than actual or old meter having been replaced with new meter. Licensee shall investigate the matter within 30 days and meters found defective shall be replaced within 15 days else correction shall be made in the data base to set his record straight.*

14/02/25

14/02/2025

14/02/25

6- UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 के 5.1.7 Billing during the period defective/stuck/stopped/burnt meter remained at site or Stolen meter

7- (1) The consumer shall be billed on the basis of the average consumption of the past three billing cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stole. These Charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter.

5. टैरिफ आदेश की दर सूची (रेट शेड्यूल) की धारा-4

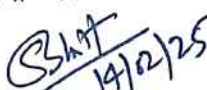
त्रुटिपूर्ण मीटर (ADF/IDF), मीटर पहुंच नहीं/नहीं पढ़ा (NA/NR) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामले में बिलिंग:-

NA/NR मामलों में ऊर्जा उपभोग का निर्धारण तथा बिलिंग पिछले एक वर्ष के औसत उपभोग के अनुसार किया जाएगा (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार) जो कि वास्तविक रीडिंग लिए जाने पर समायोजन के अधीन होगा। ऐसी अनंतिम रीडिंग एक बार में दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए जारी नहीं रहेगी। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को अनंतिम आधार पर कोई बिल जारी करने का अधिकार नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण प्रतीत अवस्था (ADF) त्रुटिपूर्ण मीटर (IDF) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामलों में उपभोक्ताओं की बिलिंग, मीटर के त्रुटिपूर्ण पाये जाने या त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि से ठीक पहले के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जायेगी (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार)। ये प्रभार केवल उस अधिकतम दो बिलिंग चक्रों हेतु यदि केवल द्विमासिक बिलिंग के मध्य हो, उद्ग्रहणीय होंगे, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर बदला जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को सही किये गये मीटर के बिना बिल जारी करने का अधिकार नहीं है। त्रुटिपूर्ण मीटर के मामले यथा IDF तथा ADF तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग मामले तथा RDF की जांच व बदलने का कार्य, लागू विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

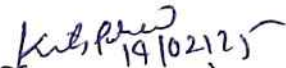
उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला खारिज किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परिवादी के बिल को संशोधित कर अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

परिवाद संख्या-216/2024

दिनांक:- 19.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राधेश्याम सेमवाल, ग्राम थलन (अयारंखा) पो0 मुस्टिकसौड उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री राधेश्याम सेमवाल, ग्राम थलन (अयारंखा) पो0 मुस्टिकसौड उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-07/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उन्होंने विद्युत संयोजन संख्या यू0के21004012495 का उपभोग उनकी माता जी द्वारा किया जाता है। उक्त संयोजन पर पूर्व में आई0डी0एफ के आधार पर बिल निर्गत किए गए थे जिनका नियमानुसार संशोधन नहीं किया गया है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को पत्रांक 133/वि0उ0शि0नि0म0उका फोरम दिनांक 07.12.2024 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया और दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई में आख्या पेश करने हेतु कहा गया। माननीय आयोग द्वारा दिनांक 07.01.2025 को देहरादून में एक दिवसीय बैठक आहुत की गई जिस कारण दिनांक 08.01.2025 की सुनवाई 03.01.2025 को नियत की गई।

दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 839/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 31.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि उक्त संयोजन की कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से यह पाया गया है कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन दिनांक

Signature
19/02/25

Signature
19/02/25

Signature
19/02/25

Page 1 of 2

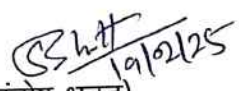
01.10.2023 को निर्गत किया गया था जिसमें कि माह 09/2009 तक मीटर रीडिंग 480 यूनिट पर कुल अवशेष धनराशि रु0 16823.00 (रुपये सौलह हजार आठ सौ तेईस) थी। माह 10/2009 से 11/2011 तक सभी बिल आई0डी0एफ पर निर्गत किये गये थे और माह 09/2011 को उपभोक्ता के परिसर पर नया मीटर स्थापित किया गया था, जिसमें कि माह 01/2014 तक 485 यूनिट पर अवशेष धनराशि रु0 35010.00 (पैंतीस हजार दस) थी। इसके बाद माह 02/2014 से 10/2016 तक सम्पूर्ण बिल आई0डी0एफ पर निर्गत किये गये थे। उपभोक्ता के समस्त आई0डी0एफ बिलों को संशोधित किया गया जिसकी संशोधित धनराशि रु0 23171.00 (तेईस हजार एक सौ इकहत्तर) थी। दिनांक 14.10.2016 को उपभोक्ता के परिसर पर नया मीटर स्थापित किया गया जिसमें 665 मीटर यूनिट पर कुल अवशेष धनराशि रु0 61481.00 (इकसठ हजार चार सौ इक्वसरी) है जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा की जानी शेष है।

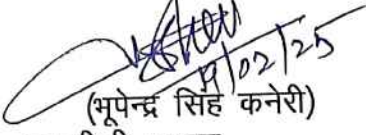
उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपभोक्ता का कथन है कि उसको पूर्व में दिए गए आई0डी0एफ बिलों का समायोजन नहीं किया गया है। दूसरी ओर विभाग का दावा है कि उपभोक्ता को निर्गत सभी आई0डी0एफ बिलों का समायोजन कर दिया है जिसकी संशोधित धनराशि रु0 23171.00 (तेईस हजार एक सौ इकहत्तर) है। जिसकी पुष्टि उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री से उपभोक्ता के दिनांक 23.01.2017 के निर्गत बिल से होती है। अतः उपभोक्ता का परिवाद बलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

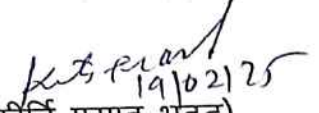
उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर उक्त परिवाद में निम्नांकित आदेश पारित किए जाते हैं।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी को आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

परिवाद संख्या-217 / 2024

दिनांक :-09/02/2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित:

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री घनश्याम प्रसाद, ग्राम धनेटी (रायमंर) उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशोषी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री घनश्याम प्रसाद, ग्राम धनेटी (रायमंर) उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-09/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या यू0के21320020369 पर विद्युत बिल आई0डी0एफ के आधार पर निर्गत किए जा रहे हैं, और वर्तमान बिल की धनराशि अधिक होने के कारण जमा करने में असमर्थ है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनके संयोजन पर निर्गत बिल का संशोधन करवाने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए पत्रांक 134/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 09.12.2024 के माध्यम से विपक्षी/विभाग को नोटिस भेजा गया और दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों एवं आपत्तियों सहित मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 840/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 13.12.2024 के मार्फत आख्या पेश की और अवगत कराया कि उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता का संयोजन दिनांक 05.12.2010 को निर्गत किया गया था जिसमें माह 03/2019 तक सम्पूर्ण बिल आई0डी0एफ पर निर्गत किये गये थे और उपभोक्ता का विद्युत बीजक माह 03/2019 तक संशोधित कर दिया गया था जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा नहीं किया गया। इसके बाद माह 03/2019 से 03/2024 तक सम्पूर्ण बिल आई0डी0एफ पर निर्गत किये गये थे व दिनांक 22.03.2024 को उपभोक्ता के परिसर पर नया मीटर स्थापित कर माह 09/2024 में रीडिंग 02 यूनिट पर कुल अवशेष धनराशि रु0 12147.00 (रुपये बारह हजार एक सौ सैंतालीस) है।

Signature
09/02/25

Signature

Signature
09/02/25

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि उपभोक्ता का संविदाकृत भार 01 कि०वा० है और संगोजन दिनांक 05.12.2010 को योजित किया गया। उपभोक्ता को दिनांक 18.07.2013 से 21.03.2017 तक लगातार एन०आर और आई०डी०एफ के बिल निर्गत किए गए। विपक्षी ने 31.05.2017 को मीटर तो बदल दिया, लेकिन इसके उपरान्त भी उपभोक्ता को दिनांक 31.05.2017 से 06.03.2024 तक लगातार एन०आर और आई०डी०एफ के बिल निर्गत किए गए। विपक्षी द्वारा मंच को प्रस्तुत पत्रावली / आख्यानसार दिनांक 21.03.2017 को उपभोक्ता बिल में मीटर यूनिट 47 बताई गई जिसके उपरान्त दिनांक 08.03.2019 की मीटर यूनिट कम कर 01 यूनिट बताई गई मीटर यूनिट कम बताए जाने के कारण यह स्पष्ट है कि मीटर खराब है। चूंकि परिवारी बीपीएल श्रेणी का उपभोक्ता है और उसकी विद्युत खपत भी ज्यादा प्रतीत नहीं होती है। जबकि एन०आर और आई०डी०एफ के बिल जारी करने के बावजूद परिवारी ने 09.02.2024 को 6000 हजार रुपये का भी भुगतान किया गया है। ऐसे में परिवारी को एन०आर और आई०डी०एफ के संशोधित बिलों में 12147 रुपये का बिल निर्गत करना गलत है। मंच का मत है कि विभाग ने उपभोक्ता को लगातार दो से अधिक के एन०आर और आई०डी०एफ के बिल प्रेषित किए जो कि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों का घोर उल्लंघन है।

ऐसे में मंच माननीय आयोग के विनियमों के अनुसार विपक्षी को आदेश देता है कि वह उपभोक्ता को दिनांक 18.07.2013 और 21.09.2013 का बिल उपभोक्ता के पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित करें और दिनांक 21.11.2013 से 21.03.2024 तक के बिल निरस्त करना न्यायोचित होगा। साथ ही इस दौरान निरस्त किए गए बिलों में किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क अधिभार देय नहीं होगा। उपभोक्ता को भी हिदायत दी जाती है कि वह अपने बिल की देयक राशि को समय अनुसार जमा करें।

यह आदेश उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 में और टैरिफ आदेश के अनुसार दिए गए हैं जो कि नीचे वर्णित हैं-

1. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, के 3.2 (त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रुके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में बिलिंग) में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक एन०आर / आर०डी०एफ / आई०डी०एफ के बिल प्रेषित नहीं किए जा सकते हैं।

2- UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 के 5.1.4 Meter not recording

(1) If the meter is not displaying/not recording/stuck as reported by the consumer the Licensee shall check the meter within 30 days of receipt of complaint and if found not displaying not recording stuck or identified as defective (IDF), the meter shall be replaced by the Licensee within 15 days thereafter.

02.11
09/11/25

Kuldeep
09/10/25

- 3- UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 के 5.1.7 Billing during the period defective stuck stopped burnt meter remained at site or Stolen meter(i) The consumer shall be billed on the basis of the average consumption of the past three billing cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stole. These Charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter.

4. टैरिफ आदेश के दर अनुसूची के para 4-

त्रुटिपूर्ण मीटर (ADF/IDF), मीटर पहुंच नहीं/नहीं पढा (NA/NR) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामले में बिलिंग:-

NA/NR मामलों में ऊर्जा उपभोग का निर्धारण तथा बिलिंग पिछले एक वर्ष के औसत उपभोग के अनुसार किया जाएगा (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार) जो कि वास्तविक रीडिंग लिए जाने पर समायोजन के अधीन होगा। ऐसी अनंतिम रीडिंग एक बार में दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए जारी नहीं रहेगी। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को अनंतिम आधार पर कोई बिल जारी करने का अधिकार नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण प्रतीत अवस्था (ADF) त्रुटिपूर्ण मीटर (IDF) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामलों में उपभोक्ताओं की बिलिंग, मीटर के त्रुटिपूर्ण पाये जाने या त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि से ठीक पहले के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जायेगी (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार)। ये प्रभार केवल उस अधिकतम दो बिलिंग चक्रों हेतु यदि केवल द्विमासिक बिलिंग के मध्य हो, उद्ग्रहणीय होंगे, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर बदला जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को सही किये गये मीटर के बिना बिल जारी करने का अधिकार नहीं है। त्रुटिपूर्ण मीटर के मामले यथा IDF तथा ADF तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग मामले तथा RDF की जांच व बदलने का कार्य, लागू विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परिवादी के बिल को संशोधित कर अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर

(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

(मूपेंद्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य

(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य



Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi-249193
Ph:- +917895754011, 9412139791
E-mail : cgrfukia@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी ।
पिन:-249193
दूरभाष : +917895754011, 9412139791

परिवाद संख्या-220/2024

दिनांक :-07.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री घनानन्द नौटियाल, वार्ड नं0-9 जोशियाड़ा, उत्तरकाशी।
परिवादी
बनाम
अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।
विपक्षी

:: निर्णय:

परिवादी श्री घनानन्द नौटियाल, वार्ड नं0-9 जोशियाड़ा, उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक 10/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनका विद्युत संयोजन लंबी दूरी की सर्विस केबिल होने के कारण बार-बार विद्युत बाधित हो रही है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध किया गया है कि उनके उक्त संयोजन उनके निवास के निकटतम स्थित पोल से जोड़ने तथा उनके घर के निकट स्थित विद्युत लाईन की क्षमता बढ़ायी जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा विभागीय आख्या पेश नहीं की गयी। जिस कारण मंच द्वारा एक अवसर प्रदान करते हुये विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या अगली सुनवाई दिनांक 08.01.2025 को पेश करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 07.01.2025 को मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा देहरादून में एक बैठक आयोजित की गयी। जिस कारण दिनांक 08.01.2025 की सुनवाई को पूर्वस्थगित करते हुये मंच द्वारा दिनांक 03.01.2025 को नियत की जाती है। दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 175/वि0वि00ख0उ0 दिनांक 30.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि जनपद उत्तरकाशी में लम्बी दूरी के स्पानों को कम करने हेतु आर0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत सर्विस कनेक्शन रेगुलराइजेशन का

Kurkara
07/02/25 क्रमशः 2.....

07/02/25

07/02/2025



कार्य स्वीकृत है। कार्य का आवंटन मै0 आर0सी0सी0 प्रा0लि0 को किया जा चुका है। वर्तमान में कार्यो हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा सर्वे का कार्य करवाया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन में 1 से 1.5 साल में होने की संभावना है।

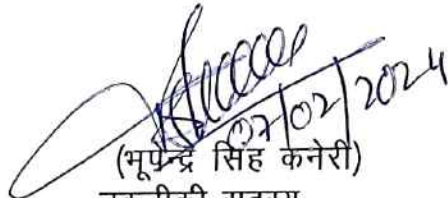
उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन कर मंच ने पाय कि प्रस्तुत मामले में परिवादी ने विद्युत गुणवत्ता और सेवा से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई है। चूंकि, मामले में विपक्षी विभाग द्वारा सुनवाई के दौरान स्वीकार किया गया कि परिवादी से संबंधित शिकायत वाले क्षेत्र में लम्बे स्पॉन के चलते गुणवत्ता और सेवा से जुड़ी समस्या की शिकायतें अन्य उपभोक्ताओं के द्वारा भी अक्सर की जाती है। मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने संबंधित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया तो पाया कि लम्बी स्पॉन की कम क्षमता वाली विद्युत आपूर्ति वाली केबिल जैसी तकनीकी दिक्कतों के कारण समस्या बनी हुई है। इस समस्या का समाधान उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाली केबिल लगने के बाद ही निराकरण संभव बताया गया। इसके लिए विपक्षी ने आरडीएसएस योजना के तहत उक्त समस्या का समाधान करने का भरोसा मंच को दिया है। साथ ही विपक्षी ने मंच को लिखित पत्र में उक्त कार्य के लिए फर्म चयन से लेकर अनुबंध और कार्य आवंटन की लिखित जानकारी मंच को दी गई है। इसके अलावा विपक्षी ने मंच को भरोसा दिलाया कि अनुबंध के अनुसार कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

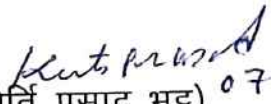
यहां मंच का यह मत है कि उक्त समस्या का समाधान विपक्षी को माननीय आयोग के (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम 2022 के खंड की अनुसूची 3 में तय समय सीमा के भीतर करना जरूरी है। अन्यथा विपक्षी को सेवा और गुणवत्ता में कमी के चलते जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन, यह समस्या तकनीकी रूप से जटिल होने के चलते मंच विपक्षी को आदेशित करता है कि उपभोक्ताओं की सेवा और गुणवत्ता से जुड़ी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उक्त अनुबंध के इस कार्य का क्रियान्वयन प्राथमिकता के साथ कराया जाए, ताकि उपभोक्ताओं की सेवा और गुणवत्ता से जुड़ी इस समस्या का समय पर समाधान हो सके। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। परिवाद में निम्न आदेश किया जाता है-

:: आदेश:

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी की शिकायत का माननीय आयोग के (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम 2022 में दिए गए प्रावधानों अनुसार समाधान करना सुनिश्चित करें। साथ ही 30 दिन के भीतर आदेश का अनुपालन कर रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत आम्बड्समैन, 80 वंसत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफतर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट) 07/02/25
न्यायिक सदस्य



Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi-249193
Ph:- +917895754011, 9412139791
E-mail : cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी ।
पिन:-249193
दूरभाष : +917895754011, 9412139791

दिनांक :-07.02.2025

परिवाद संख्या-224 / 2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोश भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री संजय नौटियाल, वार्ड नं0-9 जोशियाड़ा सेरा, उत्तरकाशी।
परिवादी

बनाम
अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।
विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री संजय नौटियाल, वार्ड नं0-9 जोशियाड़ा सेरा, उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक 10/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनका विद्युत संयोजन लंबी दूरी की सर्विस केबिल होने के कारण बार-बार विद्युत बाधित हो रही है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध किया गया है कि उनके उक्त संयोजन उनके निवास के निकटतम स्थित पोल से जोड़ने तथा उनके घर के निकट स्थित विद्युत लाईन की क्षमता बढ़ायी जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा विभागीय आख्या पेश नहीं की गयी। जिस कारण मंच द्वारा एक अवसर प्रदान करते हुये विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या अगली सुनवाई दिनांक 08.01.2025 को पेश करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 07.01.2025 को मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा देहरादून में एक बैठक आहूत की गयी। जिस कारण दिनांक 08.01.2025 की सुनवाई को पूर्वस्थगित करते हुये मंच द्वारा दिनांक 03.01.2025 को नियत की जाती है। दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 170/वि0वि00ख0उ0 दिनांक 30.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि जनपद उत्तरकाशी में लम्बी दूरी के स्पानों को कम करने हेतु आर0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत सर्विस कनेक्शन रेगुलराइजेशन का कार्य स्वीकृत है। कार्य का आवंटन मा0 आर0सी0सी0 प्रा0मि0 को किया जा चुका है।

Kirti Prasad
07/02/25
कमप.....2

BLH
07/02/25

[Signature]
07/02/25



वर्तमान में कार्यों हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा सर्वे का कार्य करवाया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन में 1 से 1.5 साल में होने की संभावना है।

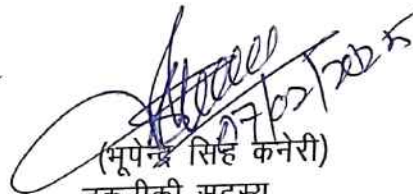
उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन कर मंच ने पाया कि प्रस्तुत मामले में परिवादी ने विद्युत गुणवत्ता और सेवा से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई है। चूंकि, मामले में विपक्षी विभाग द्वारा सुनवाई के दौरान स्वीकार किया गया कि परिवादी से संबंधित शिकायत वाले क्षेत्र में लम्बे स्पॉन के चलते गुणवत्ता और सेवा से जुड़ी समस्या की शिकायतें अन्य उपभोक्ताओं के द्वारा भी अक्सर की जाती हैं। मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने संबंधित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया तो पाया कि लम्बी स्पॉन की कम क्षमता वाली विद्युत आपूर्ति वाली केबिल जैसी तकनीकी दिक्कतों के कारण समस्या बनी हुई है। इस समस्या का समाधान उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाली केबिल लगाने के बाद ही निराकरण संभव बताया गया। इसके लिए विपक्षी ने आरडीएसएस योजना के तहत उक्त समस्या का समाधान करने का भरोसा मंच को दिया है। साथ ही विपक्षी ने मंच को लिखित पत्र में उक्त कार्य के लिए फर्म चयन से लेकर अनुबंध और कार्य आवंटन की लिखित जानकारी मंच को दी गई है। इसके अलावा विपक्षी ने मंच को भरोसा दिलाया कि अनुबंध के अनुसार कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

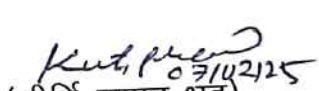
यहां मंच का यह मत है कि उक्त समस्या का समाधान विपक्षी को माननीय आयोग के (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम 2022 के खंड की अनुसूची 3 में तय समय सीमा के भीतर करना जरूरी है। अन्यथा विपक्षी को सेवा और गुणवत्ता में कमी के चलते जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन, यह समस्या तकनीकी रूप से जटिल होने के चलते मंच विपक्षी को आदेशित करता है कि उपभोक्ताओं की सेवा और गुणवत्ता से जुड़ी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उक्त अनुबंध के इस कार्य का क्रियान्वयन प्राथमिकता के साथ कराया जाए, ताकि उपभोक्ताओं की सेवा और गुणवत्ता से जुड़ी इस समस्या का समय पर समाधान हो सके। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। परिवाद में निम्न आदेश किया जाता है—

:: आदेश:

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी की शिकायत का माननीय आयोग के (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम 2022 में दिए गए प्रावधानों अनुसार समाधान करना सुनिश्चित करें। साथ ही 30 दिन के भीतर आदेश का अनुपालन कर रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वंसत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,
Uttarkashi - 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-227/2024

दिनांक:- 19.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री बलवंत नेगी पुत्र जयराम सिंह, ग्राम गमदीडगांव (साल्ड) उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री बलवंत नेगी पुत्र जयराम सिंह, ग्राम गमदीडगांव (साल्ड) उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-11/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यू0के11319014324 पर बिल आईडीएफ निर्गत हो रहे हैं और उक्त संयोजन भी काट दिया गया है। मंच से परिवादी ने अनुरोध किया कि उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए पत्रांक 145/वि0उ0शि0नि0म0उका फोरम दिनांक 11.12.2024 के माध्यम से विपक्षी/विभाग को नोटिस जारी कर दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष तथ्यात्मक विवरणों के साथ मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। नियत तिथि दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 842/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 13.12.2024 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन 28.12.2004 को निर्गत किया गया था, जिसमें माह 10/2016 तक संपूर्ण बिल आईडीएफ पर निर्गत किए गए थे, उसके पश्चात् उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 07.10.2016 को नया मीटर स्थापित किया गया, जिसमें माह 03/2019 तक मीटर रीडिंग 1981 यूनिट पर अवशेष धनराशि रुपये 18830.00 (अट्ठारह हजार आठ सौ तीस) थी, उसके पश्चात माह 05/2024 तक संपूर्ण बिल आईडीएफ पर निर्गत किए गए, जिसकी अवशेष बीजक धनराशि रुपये 26569.00 है, जो उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना शेष है। विपक्षी के जवाब से परिवादी को अवगत कराया गया। इस पर परिवादी ने विपक्षी पर लगातार आईडीएफ बिल जारी करने का आरोह दोहराते हुए बिल संशोधन की मांग की गई।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का परीक्षण किया गया। इस दौरान मंच ने पाया कि विपक्षी ने माननीय आयोग के द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों और विनियमों का उल्लंघन

CSWT
19/02/25

19/02/25

Kut, prw
19/02/25 क्रमशः 2.....

करते हुए परिवादी को दिनांक 17.01.2008 से दिनांक 18.09.2016 तक लगातार आईडीएफ के बिल जारी किए गए हैं। इसके बाद दिनांक 20.11.2016 को मीटर चेंज कर दिनांक 13.03.2019 तक मीटर यूनिट के बिल दिए गए। जबकि दिनांक 13.05.2019 से 31.05.2024 तक फिर एनआर और आईडीएफ के बिल जारी किए गए हैं।

मंच ने प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया और उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने पर पाया कि विपक्षी ने परिवादी को माननीय आयोग के विनियमों के विपरीत IDF और NR के गलत बिल भेजे गए हैं। परिवादी को भेजे गए बिल माननीय आयोग के विनियमों का घोर उल्लंघन है। अतः मंच का मत है कि उपभोक्ता के दिनांक 17.01.2008 और 19.03.2008 के बिलों को उपभोक्ता के पूर्व तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर संशोधित करना एवं दिनांक 15.05.2008 से 18.09.2016 के बिलों को निरस्त करना न्यायोचित होगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता के दिनांक 13.05.2019 से 31.05.2024 तक लगातार दिए गए एनआर और आईडीएफ के बिलों में भी दिनांक 13.05.2019 और 22.07.2019 एवं 23.09.2019 से 31.05.2024 तक के बिल निरस्त करना विनियमों के अनुरूप है। उक्त निरस्त किए गए बिलों पर किसी तरह का विलंब शुल्क अधिभार भी देय नहीं होगा। उपभोक्ता का मापक तत्काल बदला जाए और आगे उपभोक्ता को बिल मीटर यूनिट पर निर्गत किए जाएं।

यह आदेश उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 और टैरिफ आदेश के अनुसार दिए गए हैं जो कि नीचे वर्णित हैं-

1. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, के 3.2 (त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रुके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में बिलिंग) में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक एनआर / आरडीएफ / आईडीएफ के बिल प्रेषित नहीं किए जा सकते हैं।

2- UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 के 5.1.4 Meter not recording

(1) If the meter is not displaying/not recording/stuck as reported by the consumer the Licensee shall check the meter within 30 days of receipt of complaint and if found not displaying/not recording/stuck or identified as defective (IDF), the meter shall be replaced by the Licensee within 15 days thereafter.

3- UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 के 5.1.7 Billing during the period defective/stuck/stopped/burnt meter remained at site or Stolen meter.

(1) The consumer shall be billed on the basis of the average consumption of the past three billing cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stole. These Charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter.

4. टैरिफ आदेश के दर अनुसूची के para 4-

त्रुटिपूर्ण मीटर (ADF/IDF), मीटर पहुंच नहीं/नहीं पढ़ा (NA/NR) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामले में बिलिंग:-

3.4.4
19/02/25

19/02/25

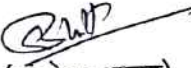
19/02/25 क्रमशः 3

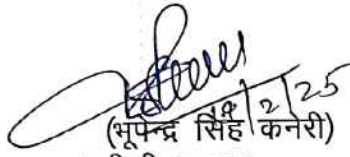
NA/NR मामलों में ऊर्जा उपभोग का निर्धारण तथा बिलिंग पिछले एक वर्ष के औसत उपभोग के अनुसार किया जाएगा (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार) जो कि वास्तविक रीडिंग लिए जाने पर समायोजन के अधीन होगा। ऐसी अंतिम रीडिंग एक बार में दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए जारी नहीं रहेगी। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को अंतिम आधार पर कोई बिल जारी करने का अधिकार नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण प्रतीत अवस्था (IDF) त्रुटिपूर्ण मीटर (ADF) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामलों में उपभोक्ताओं की बिलिंग, मीटर के त्रुटिपूर्ण पाये जाने या त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि से ठीक पहले के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जायेगी (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार)। ये प्रभार केवल उस अधिकतम दो बिलिंग चक्रों हेतु यदि केवल द्विमासिक बिलिंग के मध्य हो, उद्ग्रहणीय होंगे, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर बदला जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को सही किये गये मीटर के बिना बिल जारी करने का अधिकार नहीं है। त्रुटिपूर्ण मीटर के मामले यथा IDF तथा ADF तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग मामले तथा RDF की जांच व बदलने का कार्य, लागू विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

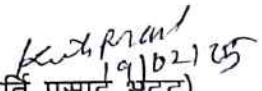
उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि माननीय आयोग के उपरोक्त विनियम के अनुसार परिवादी का बिल संशोधित कर सही बिल निर्गत करें। साथ ही अनुपालन आख्या मंच में 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(सतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

 Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi - 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-228 / 2024

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
श्री सतोष भट्ट

दिनांक:- 12.02.2025

(न्यायिक सदस्य)

(तकनीकी सदस्य)

(उपभोक्ता सदस्य)

श्री पूरण सिंह पुत्र केशर सिंह, ग्राम अनोल देवीसौंड (बधाणगांव) उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

विपक्षी

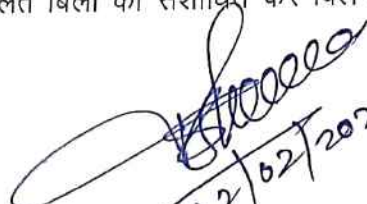
अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

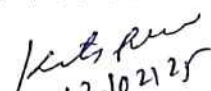
:: निर्णय ::

परिवादी श्री पूरण सिंह पुत्र केशर सिंह, ग्राम अनोल देवीसौंड (बधाणगांव) उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-13/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यू0के24145410556 काट दिए जाने के बाद भी विद्युत बिल अधिक आ रहा है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए पत्रांक 146/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 13.12.2024 के माध्यम से विपक्षी/विभाग को नोटिस जारी कर दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष तथ्यात्मक विवरणों के साथ मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। नियत तिथि दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 391/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 14.12.2024 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 18.02.2008 से 24.04.2013 तक आई0डी0एफ पर निर्गत हो रहे हैं। उपभोक्ता पर वर्तमान में रु0 58172.00 (अठारह हजार एक सौ बहत्तर रुपये) का बिल बकाया है। मंच द्वारा विपक्षी के जवाब से परिवादी को अवगत कराया गया। परिवादी ने गलत बिल को सही करने की मांग दोहराई गई। मंच द्वारा विपक्षी को माननीय आयोग के विनियमों के अनुसार परिवादी का बिल संशोधित कर आख्या 03.01.2025 को सुनवाई के दिन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। नियत तिथि से पहले विपक्षी ने अपने पत्रांक 04 विविउख चि के मार्फत दिनांक 02.01.2025 से अवगत कराया कि परिवादी को जारी किए गए आईडीएफ के गलत बिलों को संशोधित कर बिल 58172.00 रुपये से 17744.00 रुपये बनाकर खंड


12/02/25


12/02/2025


12/02/25

क्रमशः2.....

परिवाद संख्या- 228/2024
वि.उ.शि.नि. मंच उत्तरकाशी

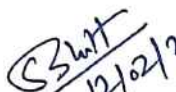
-2-

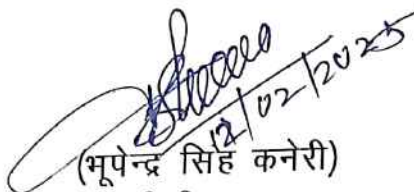
कार्यालय को कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया है। इस दौरान विपक्षी ने बिल संशोधन के समर्थन में कैलकुलेशन हिस्टरी भी मंच को उपलब्ध कराई गई।

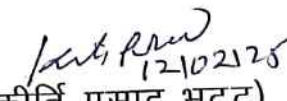
उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी ने कनेक्शन काटने के बावजूद ज्यादा बिल निर्गत करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पर विपक्षी द्वारा परिवादी को माननीय आयोग के विनियमों और टैरिफ आर्डर के विपरीत भेजे गए आईडीएफ के बिलों को संशोधित किया गया। बिल संशोधित करने के बाद विपक्षी ने मंच के समक्ष लिखित कथन के अलावा कैलकुलेशन हिस्टरी भी प्रस्तुत की गई। चूंकि विपक्षी ने परिवादी को जारी किए गए आईडीएफ के सभी गलत बिल संशोधित कर दिए हैं। विपक्षी की कार्यवाही से परिवादी को अवगत कराया गया। परिवादी ने भी विपक्षी की कार्यवाही पर सहमति जाहिर की है। ऐसे में परिवाद को आगे ले जाना उचित नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवादी की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की ज्यादा बिल संबंधी शिकायत का समाधान कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को आदेश दिए जाते हैं कि वह परिवाद में अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफतर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,
Uttarkashi - 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-230/2024

दिनांक:- 12.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री गम्भीर सिंह बिष्ट, ग्राम गढ्वाती पट्टी गाजणा उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री गम्भीर सिंह बिष्ट, ग्राम गढ्वाती पट्टी गाजणा उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-17/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आय का कोई साधन नहीं है जिस कारण वे बिल जमा करने में असमर्थ हैं। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनके संयोजन संख्या यू0के21316013947 पर निर्गत बिल का संशोधन करवाने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए पत्रांक 148/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 17.12.2024 के माध्यम से विपक्षी/विभाग को नोटिस भेजा गया और दिनांक 08.01.2025 की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस बीच माननीय आयोग द्वारा दिनांक 07.01.2025 को देहरादून में एक दिवसीय बैठक आयोजित की गयी जिस कारण 08.01.2025 की सुनवाई को 03.01.2025 में नियत किया गया। दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 20.01.2025 को अगली सुनवाई में आख्या पेश करने के निर्देश दिए। नियत तिथि को विपक्षी ने अपना जवाब पत्रांक 894/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 20.01.2025 के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए मंच को अवगत कराया गया कि उक्त संयोजन की कन्ज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता के बिल माह 01/2008 से माह 08/2015 तक सम्पूर्ण बिल आई0डी0एफ पर निर्गत किये गये थे व सभी आई0डी0एफ बिल माह 01/2016 में संशोधित कर दिये गये थे,

SBH
12/02/25

12/02/2025

12/02/25

क्रमशः 2.....



जिसकी अवशेष धनराशि रु0 14366.00 (रुपये चौदह हजार तीन सौ छियासठ) थी। इसके बाद दिनांक 29.08.2015 को उपभोक्ता के परिसर पर नया मीटर स्थापित किया गया था, जिसमें वर्तमान तक मीटर रीडिंग 7766 यूनिट पर कुल अवशेष धनराशि रु0 41678.00 (रुपये इकचास हजार छः सौ अठहत्तर) है। मंच द्वारा विपक्षी के प्रस्तुत जवाब में परिवादी की सहमति न होने पर 27.01.2024 को परिवाद को लेकर सुस्पष्ट आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। दिनांक 27.01.2025 को विपक्षी ने पूर्व में प्रस्तुत जवाब को ही मौखिक रूप में दोहराया गया।

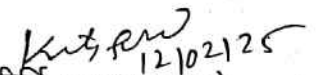
मंच ने उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस दौरान मंच ने पाया कि परिवादी ने ज्यादा बिल आने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पर विपक्षी द्वारा परिवादी की प्रस्तुत कंज्यूमर हिस्ट्री में उल्लेख है कि परिवादी को माह फरवरी 2004 में बी0पी0ल श्रेणी में एक किलोवाट का संयोजन निर्गत किया गया है। विपक्षी ने परिवादी को दिनांक 17.01.2008 से 20.11.2012 तक लगातार आई0डी0एफ के बिल जारी किए गए। इसके बाद दिनांक 17.01.2013 को एक बिल एन0आर तथा 19.03.2013 को एक बिल मीटर यूनिट पर निर्गत किया गया। इसके बाद परिवाद को दो बिल एन0आर और फिर एक बिल मीटर यूनिट पर जारी किया गया। जबकि इसके बाद दिनांक 21.11.2013 से 22.05.2014 तक एन0आर और दिनांक 21.07.2014 से 11.01.2016 तक लगातार आई0डी0एफ के बिल जारी किए गए। इसके बाद विपक्षी ने दिनांक 08.03.2016 को परिवादी का मीटर बदला गया। जिसमें 254 यूनिट से बिल सीधे 1145 यूनिट पहुंच गया। जबकि इसके बाद दिनांक 10.07.2016 से वर्तमान तक बिल 50 से 300 यूनिट तक ही प्रति बिल जारी हुआ है। वर्तमान में परिवादी पर 42648.00 (रुपये बयालीस हजार छः सौ अड़तालीस) रुपये का बिल बकाया चल रहा है। परिवादी ने अपने बकाये बिलों पर मार्च 2024 में 10000.00 रुपये की राशि जमा की गई। मंच ने पाया कि विपक्षी ने परिवादी को आई0डी0एफ के कुछ बिलों पर 13703.00 (रुपये तेरह हजार सात सौ तीन) का सीसीबीआर दिया गया है। जबकि 460.00, 487.00, 523.00, 367.00 रुपये और 141.00 रुपये का समायोजन पर भी दिया गया है। लेकिन मीटर बदलने के बाद अचानक एक बिल 1145 यूनिट का जारी करना सीधे तौर पर तकनीकी रूप से स्वीकार योग्य नहीं है। यह बिल मीटर यूनिट के बावजूद परिवादी की वास्तविक खपत से कई गुना होने के कारण बिल संशोधन योग्य है। मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को जारी ज्यादा यूनिट के बिल को माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों के अनुसार संशोधन किया जाना न्याहित में होगा। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेश दिए जाते हैं कि परिवाद को जारी गलत बिल का सुधार करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली का खिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Distribution Division,
Uttarkashi - 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-234 / 2024

दिनांक:- 19.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रतन सिंह राणा ग्राम सिरोर, भटवाडी उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री रतन सिंह राणा ग्राम सिरोर (भटवाडी) उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-19/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यू0के21118005869 का विद्युत बिल खपत से अधिक आ रहा है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध किया गया है कि उनके उक्त संयोजन पर बिल की धनराशि को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए पत्रांक 152/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 21.12.2024 के माध्यम से विपक्षी/विभाग को नोटिस जारी कर दिनांक 08.01.2025 की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष तथ्यात्मक विवरणों के साथ मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इस बीच माननीय आयोग में महत्वपूर्ण बैठक नियत होने पर सुनवाई की तिथि 03.01.2025 को नियत की गई। नियत तिथि को विपक्षी का जवाब न आने पर एक और तिथि 20.01.2025 को नियत की गई। नियत तिथि को विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत किया। अधूरा जवाब होने पर विपक्षी को सही जवाब प्रस्तुत करने का एक और मौका दिया गया। नियत दिनांक 27.01.2025 को विपक्षी ने पत्रांक 893/वि0वि0उ0प0ख0उ दिनांक 20.01.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि प्रस्तुत परिवाद में

32/19/2/25

19/02/25

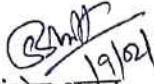
Keshav Prasad
19/02/25

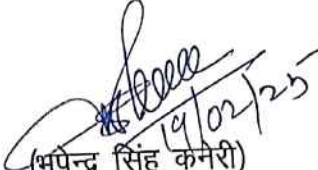
परिवादी को जारी किए गए गलत आईडीएफ के बिलों को समायोजित कर दिया है। अब परिवादी का संशोधित बिल 476.00 (रुपये चार सौ छियत्तर) कर दिया है। यह परिवादी को जमा करना है। विपक्षी के जवाब से परिवादी को अवगत कराया गया। परिवादी ने विपक्षी के जवाब पर सहमति जाहिर की।

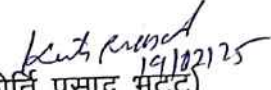
उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी ने अधिक बिल आने की शिकायत मंच में दर्ज कराई थी। परिवाद पर विपक्षी विभाग ने माननीय आयोग के विनियमों के अनुसार गलत बिल को संशोधित कर सही बिल निर्गत कर दिया है। विपक्षी की कार्यवाही पर परिवादी ने भी संतुष्टि जाहिर कर दी है। ऐसे में परिवाद को आगे ले जाना उचित नहीं है। परिवाद स्वीकार करते हुए निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की ज्यादा बिल संबंधी शिकायत का समाधान कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


संतोष भट्ट
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेसी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance

Redressal Forum

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,

Uttarkashi - 249193

Ph: +91 7895754011, 9412139791

E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी

पिन:-249193

दूरभाष:-+917895754011, 9412139791

ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-237/2024

दिनांक:- 14.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपरिष्ठतः श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री नत्थी सिंह रावत पुत्र स्व० श्री अब्बल सिंह, ग्राम बौंगा भटवाडी उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री नत्थी सिंह रावत पुत्र स्व० श्री अब्बल सिंह, ग्राम बौंगा भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-24/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनका विद्युत संयोजन संख्या यू०के२१००४०१३७५४ पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के दिए जा रहे हैं। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए पत्रांक 155/वि०उ०शि०नि०मं०उका फोरम दिनांक 24.12.2024 के माध्यम से विपक्षी/विभाग को नोटिस जारी कर दिनांक 08.01.2025 की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों के साथ मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस बीच माननीय आयोग द्वारा दिनांक 07.01.2025 को देहरादून में एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई जिस कारण दिनांक 08.01.2025 की सुनवाई दिनांक 03.01.2025 को नियत की गई। दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 854/वि०वि०उ०ख०चि० दिनांक 31.12.2024 के माध्यम से आख्या पेश की और मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के

34th
14/02/2025

14/02/2025

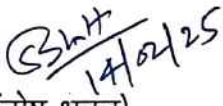
K. Prasad
14/02/2025

अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के बिल माह 09/2024, 11/2024 एवं 12/2024 की खपत क्रमशः 170, 500 एवं 100 यूनिट है। उपभोक्ता के सम्पूर्ण बिल रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये जा रहे हैं। जिसकी अवशेष धनराशि रु0 695.00 (छः सौ पिचानवे) है, जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना शेष है।

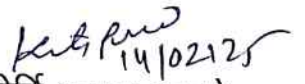
उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी ने विद्युत बिल संशोधन करने तथा अपने पुत्र दिनेश सिंह रावत के नाम अलग संयोजन निर्गत करने की मांग की गई। मंच ने पाया कि उपभोक्ता का संविदाकृत भार 02 कि0वा0 का है और उक्त भार की तुलना में विद्युत खपत तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक नहीं है। अतः परिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है। परिवादी की दूसरी मांग अपने पुत्र के नाम अलग संयोजन निर्गत करने की है। ऐसे में मंच का मत है कि परिवादी एक ही परिसर में लगे पुराने संयोजन का बकाया जमा कर पुत्र ने नाम अलग संयोजन के लिए विभाग में नियमानुसार आवेदन करें। मंच विपक्षी को निर्देश देता है कि यदि परिवादी उपरोक्त के साथ साथ नए संयोजन संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करता है तो परिवादी के पुत्र को समय पर नया संयोजन जारी करें। इसके अलावा मंच का सुझाव है कि यदि परिवादी को मीटर की शुद्धता में संशय है तो वह परिसर में चेक मीटर लगाने को स्वतंत्र है। चेक मीटर का शुल्क जमा करने पर विपक्षी समय पर चेक मीटर स्थापित करें। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद आर्षिक स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेश दिए जाते हैं कि परिवादी द्वारा नए संयोजन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर नियमानुसार नया संयोजन निर्गत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193

Ph: +91 7895754011, 9412139791

E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी

पिन:-249193

दूरभाष:-+917895754011, 9412139791

ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-239/2024

दिनांक:- 14.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)

श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री कलम सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, ग्राम हिटाणू डुण्डा उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री कलम सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, ग्राम हिटाणू डुण्डा उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-26/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनका विद्युत संयोजन संख्या यू0के24108433716 पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के दिए जा रहे हैं। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए पत्रांक 157/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से विपक्षी/विभाग को नोटिस भेजा गया और दिनांक 08.01.2025 की सुनवाई के दौरान विभागीय आख्या पेश करने हेतु कहा गया। इस बीच माननीय आयोग द्वारा दिनांक 07.01.2025 को देहरादून में एक दिवसीय बैठक आहुत की गई जिस कारण दिनांक 08.01.2025 की सुनवाई दिनांक 03.01.2025 को नियत की गई। दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 09/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की और अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 24.04.2008 से 22.04.2009 तथा 28.02.2018 से 16.10.2019 तक एन0आर0/आई0डी0एफ पर निर्गत हो रहे हैं।

3/2/25
14/02/25

14/02/2025

14/02/25

उपभोक्ता का वर्तमान बिल रु0 63207.00 (रुपये तिरैसठ हजार दो सौ सात) बकाया है, और उपभोक्ता द्वारा दिनांक 31.07.2012 के उपरान्त कोई विद्युत बिल जमा नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान परिवादी ने कहा कि उनकी विद्युत खपत कम है, लेकिन बिल ज्यादा के आ रहे हैं। इस पर मंच द्वारा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत की गई परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया तो परिवादी की वास्तविक खपत कम है। इस पर विपक्षी को माननीय आयोग के विनियमों के अनुसार परिवादी का बिल सही करने के निर्देश दिए। विपक्षी/विभाग द्वारा उक्त सुनवाई के दौरान ही एक और आख्या पेश की गई। विपक्षी ने मंच को अवगत कराया कि शिकायतकर्ता के दो बिलिंग चक्र से अतिरिक्त एन0आर0/आई0डी0एफ/ और एन0ए0 बिलों को पूर्णतया समाप्त कर विद्युत बिल रु0 63207.00 (रुपये तिरैसठ हजार दो सौ सात) से संशोधित कर रु0 59637.00 (उनसठ हजार छः सौ सैंतीस) कर पत्र खण्ड कार्यालय को कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया गया है। विपक्षी ने अपनी आख्या के साथ संशोधित बिल की कैलकुलेशन हिस्ट्री भी मंच के समक्ष पेश की गई।

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का परिशीलन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी ने खपत कम और बिल अधिक आने की शिकायत दर्ज कराई है। इस पर विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 24.04.2008 से 22.04.2009 एवं दिनांक 24.04.2018 से 16.10.2019 तक जारी एनआर और आईडीएफ के बिलों को माननीय आयोग के विनियमों के अनुसार संशोधित कर परिवादी का बिल रु0 63207.00 (रुपये तिरैसठ हजार दो सौ सात) से संशोधित कर रु0 59637.00 (उनसठ हजार छः सौ सैंतीस) कर दिया है। मंच का मत है कि माननीय आयोग के विनियमों एवं समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार विपक्षी परिवादी को जारी दिनांक 24.04.2008 और 17.06.2008 के बिल परिवादी के पूर्व में दिए गए तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर संशोधित करना एवं दिनांक 28.08.2008 से 22.04.2009 के बिल निरस्त करना न्यायोचित होगा। इस दौरान निरस्त किए गए बिलों में किसी भी प्रकार विलम्ब शुल्क अधिभार देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उपलब्ध अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि उपभोक्ता को दिनांक 22.04.2018 से 16.10.2019 (11 बिल) आई0डी0एफ के पुनः निर्गत किए, जो कि विनियमों का उल्लंघन है। अतः मंच का मत है कि उक्त बिलों को भी विनियमों के आधार पर दिनांक 22.04.2018 और 15.06.2018 का बिल उपभोक्ता के पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित करें और दिनांक 16.08.2018 के उपरान्त 16.10.2019 तक के बिलों को निरस्त करने योग्य है। निरस्त किए गए बिलों में किसी भी प्रकार विलम्ब शुल्क अधिभार देय नहीं होगा। मंच ने कंज्यूमर हिस्ट्री में यह भी पाया गया कि उपभोक्ता को अनेक बार समय-समय पर एन0आर0 के बिल प्रेषित किए गए हैं, जो माननीय आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का उल्लंघन है। इसके अलावा मंच ने पाया कि परिवादी की औसत खपत जीरो यूनिट से लेकर 20 से 50 यूनिट न्यूनतम तथा अधिकतम 100 से यूनिट तक अधिकांश बिल निर्गत हुए हैं। लेकिन अक्टूबर 2021 को जारी बिल 2980 यूनिट तथा इससे पहले 48 तथा बाद में 52 यूनिट का बिल जारी करना तकनीकी रूप से सही नहीं है। इसका पुख्ता प्रमाण परिवादी को 13.08.2022 से 16.08.2024 तक लगातार जारी 3595 किलोवाट के प्रीवियस रीडिंग के बिल है। जबकि इस बीच में रीडिंग के बीच जीरो और एनआर के बिल परिवादी की पूर्व में औसत खपत से कई गुना ज्यादा है। विपक्षी की परिवादी को जारी बिलों में मनमानी का एक और उदाहरण जीरो यूनिट पर एमडी 1 किलोवाट तथा 33 यूनिट पर

14/02/25

14/02/2025

14/02/25 मंच: 3.....

2.30 किलोवाट दर्ज करना जैसी गलतियां भी सर्वविदित हैं। ऐसे में मंच का मानना है कि परिवादी को जारी किए गए गलत बिल स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसे में उपरोक्त बिलों को सही करना न्योचित होगा तथा परिवादी का विद्युत मापक परिवर्तित करना भी नितान्त आवश्यक होगा, ताकि बार-बार इस तरह की समस्या उत्पन्न न हो।

यह आदेश पारित करने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 में और टैरिफ आदेश के अनुसार दिए गए हैं जो कि नीचे वर्णित हैं-

1. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, के 3.2 (त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रुके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में बिलिंग) का उल्लंघन है। उक्त विनियम में यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक एन0आर0/आर0डी0एफ/आई0डी0एफ के बिल प्रेषित नहीं किए जा सकते हैं।

2. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 के 5.1.4 Meter not recording

(1) If the meter is not displaying/not recording/stuck as reported by the consumer the Licensee shall check the meter within 30 days of receipt of complaint and if found not displaying/not recording/stuck or identified as defective (IDF), the meter shall be replaced by the Licensee within 15 days thereafter.

(2) Where the Licensee observes that current reading is lower than the previous reading (RDF), which is possibly due to current reading being less than actual, or previous reading be higher than actual or old meter having been replaced with new meter. Licensee shall investigate the matter within 30 days and meters found defective shall be replaced within 15 days else correction shall be made in the data base to set his record straight.

3- UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 के 5.1.7 Billing during the period defective/stuck/stopped/burnt meter remained at site or Stolen meter

(1) The consumer shall be billed on the basis of the average consumption of the past three billing cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stole. These Charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter.

4- टैरिफ आदेश की दर अनुसूची (रेट शेड्यूल) की धारा 4-

त्रुटिपूर्ण मीटर (ADF/IDF), मीटर पहुंच नहीं/नहीं पढ़ा (NA/NR) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामले में बिलिंग:-

NA/NR मामलों में ऊर्जा उपभोग का निर्धारण तथा बिलिंग पिछले एक वर्ष के औसत उपभोग के अनुसार किया जाएगा (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार) जो कि वास्तविक रीडिंग लिए जाने पर समायोजन के अधीन होगा। ऐसी अंतिम रीडिंग एक बार में दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए जारी नहीं रहेगी। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को अंतिम आधार पर कोई बिल जारी करने का अधिकार नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण प्रतीत अवस्था

क्रमशः 4.....

14/02/25

14/02/2025

14/02/25

(ADF) त्रुटिपूर्ण मीटर (IDF) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामलों में उपभोक्ताओं की बिलिंग, मीटर के त्रुटिपूर्ण पाये जाने या त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि से ठीक पहले के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जायेगी (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार)। ये प्रभार केवल उस अधिकतम दो बिलिंग चक्रों हेतु यदि केवल द्विमासिक बिलिंग के मध्य हो, उद्ग्रहणीय होंगे, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर बदला जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को सही किये गये मीटर के बिना बिल जारी करने का अधिकार नहीं है। त्रुटिपूर्ण मीटर के मामले यथा IDF तथा ADF तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग मामले तथा RDF की जांच व बदलने का कार्य, लागू विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का बिल माननीय आयोग के विनियमों के अनुसार संशोधित करें। साथ ही अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(Smt)
14/02/25
संतोष भट्ट
उपभोक्ता सदस्य

(मूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य

(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

परिवाद संख्या-242/2024

दिनांक:- 19/02/2025

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
2. श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
3. श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

श्री जगमोहन सिंह भंडारी, निवासी क्यारी पट्टी, दसगी, कोटधार, उत्तरकाशी.

परिवादी

बनाम

विपक्षी

अधिकांशी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

निर्णय

शिकायतकर्ता श्री जगमोहन सिंह भंडारी, निवासी क्यारी पट्टी, दसगी, कोटधार, उत्तरकाशी, ने 30-12-2024 को बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखंड में एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनके बिजली संयोजन (संयोजन संख्या UK 24120433852) पर जारी किए जा रहे बिजली बिल उनकी वास्तविक खपत की तुलना में अत्यधिक हैं। इस आधार पर, मंच ने प्रतिवादी/विभाग को निर्देश दिया कि उक्त संयोजन पर जारी किए गए बिजली बिलों को उचित रूप से संशोधित किया जाए।

मंच ने इस शिकायत को पंजीकृत कर पत्रांक 160 दिनांक के तहत 30-12-2024 को प्रतिवादी/विभाग को एक नोटिस पत्रांक 164 दिनांक 31 दिसंबर 2024 को जारी किया, जिसमें उन्हें दिनांक 08-01-2025 को मंच के समक्ष अपने पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित पेश करने का निर्देश दिया। 03-01-2025 की सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी/विभाग ने पत्र संख्या 13, दिनांक 02-01-2025 के माध्यम से मंच को सूचित किया कि प्रतिवादी संयोजन संख्या यूके 24120413286 कि बिल हिस्ट्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि

फोरम ने इस शिकायत को मामला संख्या 160 दिनांक के तहत पंजीकृत कर 30-12-2024 को प्रतिवादी/विभाग को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें 08-01-2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, 07-01-2025 को देहरादून में माननीय आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसके कारण 08-01-2025 की सुनवाई को पुनर्निर्धारित कर 03-01-2025 को किया गया।

03-01-2025 की सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी/विभाग ने पत्र संख्या 11, दिनांक 02-01-2025 के माध्यम से फोरम को सूचित किया कि संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, उपभोक्ता पर 17-01-2008 से 19-01-2015 तक NR (Non-Reading) और IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी किए गए थे, और वर्तमान में उपभोक्ता पर ₹52,927.00 (बावन हजार नौ सौ सत्ताईस रुपये) बकाया है। अब तक, शिकायतकर्ता द्वारा इस बिल का कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। इस आधार पर, फोरम ने प्रतिवादी/विभाग को निर्देश दिया कि माननीय आयोग द्वारा जारी विनिर्णयों के अनुसार NR और IDF बिलों को संशोधित किया जाए और अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाए।

3417
19/02/25

19/02/2025

Page 1 of 4
19/02/25

प्रतिवादी/विभाग को निर्देश दिया कि माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों के अनुसार NR और IDF बिलों को संशोधित किया जाए और अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाए।

इसके बाद, 20-01-2025 को हुई सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी/विभाग ने पत्र संख्या 24, दिनांक 17-01-2025 के माध्यम से अपने रिकॉर्ड प्रस्तुत किए, जिसमें यह बताया गया कि प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार, दो से अधिक बिलिंग चक्रों में लगाए गए IDF (Identified Defective Meter) और NR (Non-Reading) बिलों को निरस्त करके, उपभोक्ता का बकाया बिजली बिल ₹52,927.00 से घटाकर ₹42,046.00 किया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु मामला संबंधित खंड कार्यालय को भेज दिया गया है।

सभी प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन और विनियमों का विश्लेषण करने के पश्चात फोरम के अवलोकन एवं निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :-

- (i) प्रतिवादी/विभाग ने यह स्वीकार किया कि उपभोक्ता को दिनांक 17-01-2008 से 19-01-2015 तक NR (Non-Reading) और IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी किए गए थे, जो विनियमों के विरुद्ध होने के कारण संशोधित किए जाने योग्य हैं।
- (ii) यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता, 2020) के अनुसार, दोषपूर्ण मीटर को 15 दिनों के भीतर बदला जाना चाहिए था, लेकिन विभाग इसमें असफल रहा। इसके अलावा, दोषपूर्ण मीटर की अवधि के दौरान बिलिंग पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत पर आधारित होनी चाहिए थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। शिकायतकर्ता को अनुमोदित दो बिलिंग चक्रों से अधिक समय के लिए गलत तरीके से बिल किया गया, और समय पर मीटर न बदलने के कारण निरंतर गलत गणना होती रही। विभाग द्वारा विनियमों का उल्लंघन किया गया है, अतः प्रतिवादी/विभाग को यूईआरसी (UERC) द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार बिल में संशोधन किया जाना न्यायसंगत होगा। साथ ही, संशोधित किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार लगाना भी अनुचित होगा।
- (iii) इसके अतिरिक्त, फोरम के सदस्यों के अवलोकन के अनुसार, यह न्यायोचित होगा कि बिजली खपत में दर्ज विसंगति का निवारण विनियमों के अनुसार किया जाए। फरवरी 2023 में उपभोक्ता की खपत 1867 यूनिट दर्ज की गई थी, जबकि जून 2023 और अगस्त 2023 में यह अपेक्षाकृत कम रही, जो मीटर की संभावित खराबी का संकेत देती है। साथ ही, उपभोक्ता की दर्ज की गई बिजली खपत 26-02-2023 और 14-10-2024 को क्रमशः 1867 और 2284 यूनिट रही, जो 1 किलोवाट के अनुबंधित भार की तुलना में असंगत प्रतीत होती है और इस कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है।

विभागीय रिकॉर्ड और उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की समीक्षा से यह भी स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता को जारी किए गए बिल उसकी वास्तविक खपत से अधिक हैं। मीटर में संभावित खराबी अथवा बिलिंग में त्रुटि के कारण उस पर अनावश्यक भार डाला गया है। इसलिए, विनियमों के अनुसार यह उपयुक्त होगा कि फरवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक की बिलिंग को औसत दर्ज खपत के आधार पर संशोधित किया जाए, और संशोधित बिलों पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या अतिरिक्त अधिभार न लगाया जाए। बिजली प्रदाता द्वारा इन समायोजनों को लागू करना विनियमों के अनुरूप उचित होगा।

उपरोक्त निष्कर्ष उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC) (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007, UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 तथा वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order) दर सूची की धारा 4 पर आधारित हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं:

SSM
19/02/25


18/12/2025

Kunt Prast
19/02/25

Page 2 of 8

2. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.4 (Meter Not Recording / NR Meter) के अनुसार:
 - (i) यदि मीटर दर्ज नहीं कर रहा है (NR Meter), रुका हुआ है, या उपभोक्ता द्वारा दोषपूर्ण बनाया गया है, तो लाइसेंसी को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जांच करनी होगी।
 - (ii) यदि मीटर दोषपूर्ण (IDF) या रीडिंग डिफेक्टिव (RDF) पाया जाता है, तो 15 दिनों के भीतर इसे बदला जाना आवश्यक होगा।
3. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.7 (Billing during the period defective/ stuck/ stopped /burnt meter remained at site or stolen meter) के अनुसार:
 - (i) यदि कोई मीटर दोषपूर्ण (IDF), रुका हुआ, जला हुआ, या चोरी हो गया है, तो उपभोक्ता को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के आधार पर बिल भेजा जाएगा।
 - (ii) यह प्रावधान अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक लागू रहेगा, जिसके भीतर लाइसेंसी को दोषपूर्ण मीटर बदल देना चाहिए।
4. वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order) दर सूची की धारा 4 के अनुसार:
 - (i) यदि उपभोक्ता के मीटर में खराबी पाई जाती है (IDF/RDF/NR Meter), तो बिलिंग का निर्धारण पूर्व की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा।
 - (ii) NR (Non-Reading) एवं RDF (Reading Defective) मामलों में, उपभोक्ता के बिल को पिछले एक वर्ष की औसत खपत के आधार पर समायोजित किया जाएगा।
 - (iii) NR/RDF/IDF मामलों में अधिकतम दो बिलिंग चक्रों से अधिक बिल नहीं लगाया जा सकता। यदि लाइसेंसी समय पर मीटर बदलने में विफल रहता है, तो आगे की बिलिंग मान्य नहीं होगी।
 - (iv) यदि वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध हो जाती है, तो समायोजन उसी के अनुसार किया जाएगा।
 - (v) बिजली प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अधिभार या लेट पेमेंट फीस न लगाई जाए।

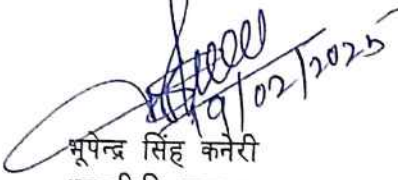
उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न लिखित आदेश दिया जाता है।

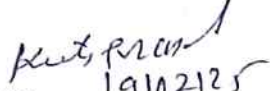
आदेश

शिकायतकर्ता का दावा स्वीकार किया जाता है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार उपभोक्ता के बिल संशोधन करना सुनिश्चित करें। संशोधित बिल को लागू करने एवं आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग 30 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि शिकायतकर्ता मंच के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल (Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)


भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)


कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)

परिवाद संख्या-244 / 2024

दिनांक:- 19.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अब्बल सिंह, ग्राम लाटा भटवाडी उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री अब्बल सिंह, ग्राम लाटा भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-30/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके0के000016738 का विद्युत बिल अधिक आया है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर बिल की धनराशि को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या दिनांक 08.01.2025 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया। किन्तु दिनांक 07.01.2025 को मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा देहरादून में एक बैठक आहूत की गयी। जिस कारण दिनांक 08.01.2025 की सुनवाई को पूर्वस्थगित करते हुये मंच द्वारा दिनांक 03.01.2025 को नियत की गयी।

दिनांक 30.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 871/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 04.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की उपभोक्ता के उक्त विद्युत संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार माह 10/2024, 11/2024 एवं 12/2024 की खपत क्रमशः 280, 114 एवं 543 यूनिट है। उपभोक्ता के सम्पूर्ण बिल रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किए जा रहे हैं।

5364
19/02/25

-2-
19/02/25

Kirti Prasad
19/02/25
परिवाद संख्या- 244 / 2024
वि.उ.शि.नि. मंच उत्तरकाशी

चूंकि परिवादी ने खपत से ज्यादा बिल आने की बात दोहराई है। ऐसे में मंच में उपभोक्ता की संतुष्टि हेतु मंच ने विपक्षी को परिवादी के संयोजन की एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इस पर विपक्षी ने अपने पत्रांक 166/वि0वि0उ0ख0 दिनांक 30.01.2025 के माध्यम से एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रस्तुत कर कहा कि परिवादी ने माह 11/2024 में कुल स्वीकृत संविदाकृत भार 8 के0वी0ए0 की तुलना में 14.21 के0वी0ए0 पाया गया है। ऐसे में माननीय आयोग के टैरिफ ऑर्डर के नियमानुसार ही फिक्स चार्ज पेनल्टी के रूप में अंकित हुई है।

उभय पक्षों को सुना गया। मंच ने यह पाया कि परिवादी ने अधिक बिल आने की शिकायत दर्ज कराई है। विपक्षी ने परिवादी को सही बिल जारी करने का कथन किया है। लेकिन मंच द्वारा परिवादी के अनुरोध पर संयोजन की एम0आर0आई0 करने के निर्देश किए गए। विपक्षी ने संयोजन की एम0आर0आई0 की। इस पर मंच द्वारा परिवादी को ज्यादा बिल आने को लेकर तकनीकी पहलुओं से अवगत किया। परिवादी का संविदाकृत भार 06 कि0वा0 अघरेलू संयोजन है और उपभोक्ता की विद्युत अधिकतम भार 14.2 के0वी0 एम0आर0आई0 में दर्ज की गई, जिस कारण उपभोक्ता को Extra Demand Charge ₹0 2297.00 (दो हजार दो सौ सतानवे) बिल में जोड़ा गया। उपभोक्ता को मंच ने स्थिति से अवगत कराया और सलाह दी कि वह अपना अधिकतम भार कम करे या संविदाकृत भार को बढ़ाने की प्रार्थना नियमानुसार विभाग में करें। परिवादी ने मंच की कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर की है।

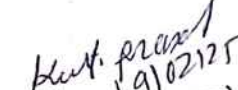
उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत खारिज की जाती है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

परिवाद संख्या-245/2024

दिनांक:- 13/02/2025

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

1. श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
2. श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
3. श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

श्री विजेंद्र लाल पुत्र जयंतीलाल, ग्राम पो०ओ० बधाण गांव, चिन्यालीसौंड, उत्तरकाशी। परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

निर्णय

शिकायतकर्ता श्री शिवम पुत्र जयंतीलाल प्रतिनिधि उपभोक्ता श्री विजेंद्र लाल ग्राम / पोस्ट ऑफिस बधाण गांव चिन्यालीसौंड उत्तरकाशी ने 31.12.2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी में एक शिकायत दर्ज कराई प्रार्थी ने लिखित रूप से यह बताया कि उनके संयोजन पर विद्युत बिल आरडीएफ के आधार पर निर्गत किया जा रहे हैं और वर्तमान में बिल की भी की धनराशि काफी अधिक हो गई है जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उनके संयोजन पर निर्गत बिलों को संशोधित करने की कृपा करें

उक्त शिकायत परिवाद संख्या 245 में दर्ज कर पत्रांक 163 दिनांक 31 दिसंबर 2024 को प्रतिवादी विभाग को जारी किया गया और प्रतिवादी को इस संबंध में अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों एवं आपत्तियां सहित दिनांक 3 जनवरी 2025 को मंच के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। 3 जनवरी 2025 की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी विभाग ने पत्र संख्या 10 दिनांक 2 जनवरी 2025 के माध्यम से मंच को अवगत किया श्री विजेंद्र लाल पुत्र श्री जयंतीलाल ग्राम बधाण गांव चिन्यालीसौंड संयोजन संख्या यूके 2414438953 उपभोक्ता की बिल हिस्ट्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 8 जुलाई 2015 से 6 मार्च 2017 और 11 अगस्त 2021 से 9 दिसंबर 2024 तक एनआर / आरडीएफ पर निर्गत हो रहे हैं। उपभोक्ता का वर्तमान बिल रुपया 89219 है सुनवाई के दौरान मंचन विपक्षी को आदेश दिया कि परिवादी को निर्गत समस्त एन आर और आरडीएफ बिलों को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के विनियम के अनुसार संशोधित कर आख्या अगली सुनवाई में पेश करें जो की 20 जनवरी 2025 को नियत की गई। सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से उपखंड अधिकारी ने अपने पत्रांक 20 जनवरी 2024 को मंच को अवगत किया की मंच के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन कर उपभोक्ता के समस्त आरडीएफ बिलों को संशोधित कर दिया गया

13/02/25

13/02/2025

Page 1 of 3

मंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और मामले से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा की। पाथी को 11 अक्टूबर 2021 से 9 दिसंबर 2024 तक आरडीएफ तथा 08-07-2015 से 06-03-2017 तक एन आर श्रेणी के अंतर्गत बिल जारी किए गए थे, जो कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) के नियमों का उल्लंघन है।

1. प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि उपभोक्ता दिनांक 11 अगस्त 2021 से 9 दिसंबर 2024 तक आरडीएफ के बिल निर्गत किये हैं और नियमानुसार संशोधन के अनुमोदन हेतु खंड कार्यालय में भेज दिए गए। जिसकी पुष्टि उपलब्ध अभिलेखों से हो रही है।
2. इसके अतिरिक्त फोरम ने दस्तावेजों में यह भी देखा कि उपभोक्ता को दिनांक 08-07-2015 से 06-03-2017 तक एन आर के बिल दिए। जिसका कि नियम अनुसार संयोजन किया जाना अनिवार्य है।
3. प्रार्थी के 11 अगस्त 2021 से 9 दिसंबर 2024 के बिल को पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए तथा 21-10-2021 से 9-12-2024 तक के बिलों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।
4. निरस्त किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार की विलंब शुल्क लागू नहीं होगा।
5. परिवादी का विद्युत मापक बदलना उचित होगा ताकि भविष्य में बिलिंग समस्या उत्पन्न न हो।

उपरोक्त निष्कर्ष उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC) (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007, UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 तथा वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order) दर सूची धारा 4 पर आधारित हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं:

- धारा 4 व 5 के अधीन आया।
1. UERC (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 की धारा 3.2 स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक NR (Non-Reading) / RDF (Reading Defective) / IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी नहीं किए जा सकते।
 2. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.4 (Meter Not Recording / NR Meter) के अनुसार:
 - (i) यदि मीटर दर्ज नहीं कर रहा है (NR Meter). रुका हुआ है. या उपभोक्ता द्वारा दोषपूर्ण बताया गया है, तो लाइसेंस को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जांच करनी होगी।
 - (ii) यदि मीटर दोषपूर्ण (IDF) या रीडिंग डिफेक्टिव (RDF) पाया जाता है. तो 15 दिनों के भीतर इसे बदला जाना आवश्यक होगा।

Kelly
13102125
Page 2 of 3

3. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.7 (Billing during the period defective/stuck/ stopped /burnt meter remained at site or stolen meter) के अनुसार:

- यदि कोई मीटर दोषपूर्ण (IDF), रुका हुआ, जला हुआ, या चोरी हो गया है, तो उपभोक्ता को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के आधार पर बिल भेजा जाएगा।
- यह प्रावधान अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक लागू रहेगा, जिसके भीतर लाइसेंसी को दोषपूर्ण मीटर बदल देना चाहिए।

4. वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order) दर सूची की धारा 4 के अनुसार:

- यदि उपभोक्ता के मीटर में खराबी पाई जाती है (IDF/RDF/NR Meter), तो बिलिंग का निर्धारण पूर्व की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा।
- NR (Non-Reading) एवं RDF (Reading Defective) मामलों में, उपभोक्ता के बिल को पिछले एक वर्ष की औसत खपत के आधार पर समायोजित किया जाएगा।
- NR/RDF/IDF मामलों में अधिकतम दो बिलिंग चक्रों से अधिक बिल नहीं लगाया जा सकता। यदि लाइसेंसी समय पर मीटर बदलने में विफल रहता है, तो आगे की बिलिंग मान्य नहीं होगी।
- यदि वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध हो जाती है, तो समायोजन उसी के अनुसार किया जाएगा।
- विजली प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अधिभार या लेट पेमेंट फीस न लगाई जाए।

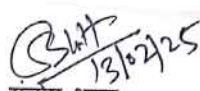
उपरोक्त विचार-विमर्श के आधार पर मामला निरस्त किया जाता है। मामले में निम्न

आदेश दिए जाते हैं।

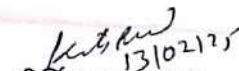
आदेश

शिकायतकर्ता का दावा स्वीकार किया जाता है और विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह नियमानुसार संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृत कर उपभोक्ता के बिल को संशोधित करे। संशोधित बिल को लागू करने एवं आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग 30 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल (Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)


भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)


कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)



**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,

Uttarkashi – 249193

Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी

पिन:-249193

दूरभाष:-+917895754011, 9412139791

ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-249/2024

दिनांक:- 12.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)

श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राकेश प्रसाद जगूड़ी पुत्र श्री नागेन्द्र प्रसाद, ग्राम जोगथमल्ला उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री राकेश प्रसाद जगूड़ी पुत्र श्री नागेन्द्र प्रसाद, ग्राम जोगथमल्ला उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-03/01/2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके24140412306 पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अधिक निर्गत किए जा रहे हैं जबकि विद्युत खपत बहुत कम है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए पत्रांक 169/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 03.01.2025 के माध्यम से विपक्षी/विभाग को नोटिस जारी किया और दिनांक 20.01.2025 की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों के साथ आख्या मंच के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए। नियत तिथि दिनांक 20.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 26/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 17.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि कन्ज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल एम0यू0 पर निर्गत हो रहे हैं। उपभोक्ता पर वर्तमान में रु0 12872.00 (बारह हजार आठ सौ बहत्तर) का बिल बकाया है, और विद्युत बिल

K. S. R.
12/02/25

क्रमशः 2.....

C. S. R.
12/2/25

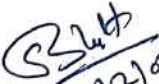
[Signature]
12/02/2025

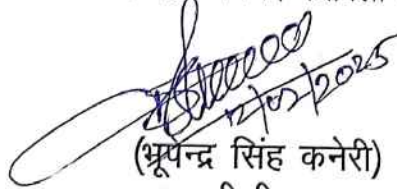
संशोधन योग्य नहीं है। हालांकि परिवादी ने वास्तविक खपत से बिल ज्यादा आने की बात दोहराने हुए बिल संशोधन की मांग मंच से की है।

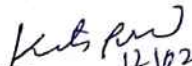
उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी द्वारा कम खपत पर ज्यादा बिल निर्गत करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। परिवाद के अनुसार परिवादी का संयोजन 01 कि०वा० का है और विद्युत खपत भी अधिक नहीं है। परिवादी का बिल मीटर यूनिट पर जारी हो रहा है। बिल समय पर जमा न होने के कारण बिलिंग शुल्क बिल से तीन गुना ज्यादा लग रहा है। परिवादी ने लम्बे समय से बिलों का भुगतान भी नहीं किया है। ऐसे में तकनीकी दृष्टि से बिल अधिक न होने के कारण उक्त परिवाद/शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। मंच का सुझाव है कि परिवादी को यदि मीटर को लेकर किसी तरह की आशंका है तो वह विभाग में चेक मीटर शुल्क जमा कर मीटर की जांच करवाने को स्वतंत्र है। चेक मीटर के बाद यदि परिवादी का मीटर त्रुटिपूर्ण पाया जाता तो विपक्षी परिवादी के बिल सही करने को बाध्य होगा। प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi - 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-250 / 2024

दिनांक:- 12.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
श्री संतोष भट्ट

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री जब्बर सिंह, ग्राम बासू तह0 भटवाडी उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री जब्बर सिंह, ग्राम बासू तह0 भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-09/01/2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यू0के21121014729 पर विद्युत बिल आई0डी0एफ और खपत की अपेक्षा अधिक निर्गत किए जा रहे हैं जबकि विद्युत खपत बहुत कम है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए पत्रांक 170/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 09.01.2025 के माध्यम से विपक्षी/विभाग को नोटिस जारी कर दिनांक 20.01.2025 की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों के साथ मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नियत तिथि दिनांक 20.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 899/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 20.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की और मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन माह 06/2004 में निर्गत किया गया था, जिसमें माह 06/2004 से माह 05/2017 तक सम्पूर्ण बिल आई0डी0एफ पर निर्गत किए गए हैं जिनकी धनराशि रु0 29871.00 (उन्तीस हजार आठ सौ इकहत्तर) है। इस दौरान परिवादी ने मंच के समक्ष आईडीएफ बिल सही करने की मांग दोहराई गई और बिल सही जारी करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का परिषीलन किया गया। मंच द्वारा पाया गया कि विपक्षी ने परिवादी को दिनांक 17.10.2008 से 03.05.2017 तक आईडी0एफ के बिल निर्गत किए हैं, जो कि माननीय आयोग के द्वारा जारी विनियमों के अनुसार दो बिलिंग चक्र से अधिक आईडी0एफ बिल उपभोक्ता को जारी नहीं करने का घोर उल्लंघन है। यहां विपक्षी ने विनियमों का उल्लंघन किया गया है। मंच का

क्रमशः 2.....

SBLH
12/02/25

12/02/2025

Kul, Pw
14/02/25

मत है कि वपक्षी/विभाग दिनांक 17.10.2008 और 18.12.2008 का बिल उपभोक्ता के पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित करें और दिनांक 18.02.2008 के उपरान्त 03.05.2017 तक के बिलों को विनियम के अनुसार निरस्त करें। साथ ही निरस्त किए गए बिलों में किसी भी प्रकार विलम्ब मुल्क अधिभार देय नहीं होगा। मंच परिवादी को हिदायत देता है कि विपक्षी द्वारा बिल संशोधित करने के बाद बिलों को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। ताकि उस पर आर्थिक भार न पड़े।

यह आदेश पारित करने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 में और टैरिफ आदेश के अनुसार दिए गए हैं जो कि नीचे वर्णित हैं-

1. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, के 3.2 (त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रुके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में बिलिंग) उक्त विनियम में यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक एन0आर0/आर0डी0एफ/आई0डी0एफ के बिल प्रेषित नहीं किए जा सकते हैं।

2. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 के 5.1.4 Meter not recording

(1) *If the meter is not displaying/not recording/stuck as reported by the consumer the Licensee shall check the meter within 30 days of receipt of complaint and if found not displaying/not recording/stuck or identified as defective (IDF), the meter shall be replaced by the Licensee within 15 days thereafter.*

(2) *Where the Licensee observes that current reading is lower than the previous reading (RDF), which is possibly due to current reading being less than actual, or previous reading be higher than actual or old meter having been replaced with new meter. Licensee shall investigate the matter within 30 days and meters found defective shall be replaced within 15 days else correction shall be made in the data base to set his record straight.*

3- UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 के 5.1.7 Billing during the period defective/stuck/stopped/burnt meter remained at site or Stolen meter

(1) *The consumer shall be billed on the basis of the average consumption of the past three billing cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stole. These Charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter.*

4- टैरिफ आदेश की दर सूची (रेट शेड्यूल) की धारा-4

त्रुटिपूर्ण मीटर (ADF/IDF), मीटर पहुंच नहीं/नहीं पढ़ा (NA/NR) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामले में बिलिंग:-

NA/NR मामलों में ऊर्जा उपभोग का निर्धारण तथा बिलिंग पिछले एक वर्ष

3/12/25

12/02/2025

Krit, Ravi
12-10-21-25

क्रमशः 3.....

के औसत उपभोग के अनुसार किया जाएगा (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार) जो कि वास्तविक रीडिंग लिए जाने पर समायोजन के अधीन होगा। ऐसी अंतिम रीडिंग एक बार में दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए जारी नहीं रहेगी। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को अंतिम आधार पर कोई बिल जारी करने का अधिकार नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण प्रतीत अवस्था (ADF) त्रुटिपूर्ण मीटर (IDF) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामलों में उपभोक्ताओं

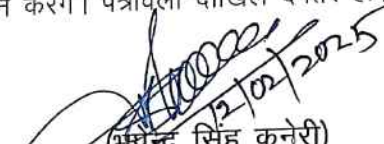
की बिलिंग, मीटर के त्रुटिपूर्ण पाये जाने या त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि से ठीक पहले के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जायेगी (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार)। ये प्रभार केवल उस अधिकतम दो बिलिंग चक्रों हेतु यदि केवल द्विमासिक बिलिंग के मध्य हो, उद्ग्रहणीय होंगे, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर बदला जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को सही किये गये मीटर के बिना बिल जारी करने का अधिकार नहीं है। त्रुटिपूर्ण मीटर के मामले यथा IDF तथा ADF तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग मामले तथा RDF की जांच व बदलने का कार्य, लागू विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

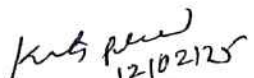
उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार परिवादी के बिलों को संशोधित कर सही बिल निर्गत करें। साथ ही अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूधेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi - 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-252/2024

दिनांक:- 14.02.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मदन लाल पुत्र श्री लखन लाल, ग्राम देवीसौड (तुल्याडा) उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री मदन लाल पुत्र श्री लखन लाल, ग्राम देवीसौड (तुल्याडा) उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-13/01/2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यू0क24144417816 पर विद्युत बिल आई0डी0एफ और खपत की अपेक्षा अधिक निर्गत किए जा रहे हैं जबकि विद्युत खपत बहुत कम है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए पत्रांक 172/वि0उ0शि0नि0म0उका फोरम दिनांक 13.01.2025 के माध्यम से विपक्षी/विभाग को नोटिस जारी कर दिनांक 20.01.2025 की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष तथ्यात्मक विवरणों के साथ मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। नियत तिथि दिनांक 20.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 28/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 17.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 18.12.2012 से 20.10.2015 तक आई0डी0एफ और एन0आर0 पर निर्गत हो रहे हैं। उपभोक्ता पर वर्तमान में रु0 90238.00 (रुपये नब्बे हजार दो सौ अड़तीस) का बिल बकाया है। विपक्षी के जवाब से परिवादी को अवगत कराया गया। परिवादी ने गलत बिल को सही करने की मांग दोहराई गई। उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। मंच ने विपक्षी द्वारा प्रस्तुत बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन पर पाया गया कि उपभोक्ता को दिनांक 18.12.2013 से 20.10.2015 तक आई0डी0एफ के बिल निर्गत हुए हैं, जो माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों के अनुसार दो बिलिंग चक्र से अधिक आई0डी0एफ बिल उपभोक्ता को जारी नहीं करने के नियमों का उल्लंघन है। अतः विपक्षी/विभाग दिनांक

14/02/25

14/02/2025

क्रमशः 2.....
14/02/25

18.12.2012 और 18.02.2013 का बिल उपभोक्ता के पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित करें और दिनांक 24.04.2013 के उपरान्त 20.10.2015 तक के बिलों को माननीय आयोग के विनियमों के अनुसार निरस्त करने योग्य है। निरस्त किए गए बिलों में किसी भी प्रकार विलम्ब पुल्क अधिभार देय नहीं होगा।

यह आदेश पारित करने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 में और टैरिफ आदेश के अनुसार दिए गए हैं जो कि नीचे वर्णित हैं-

1. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, के 3.2 (त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रुके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में बिलिंग) का उल्लंघन है। उक्त विनियम में यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक एन0आर0/आर0डी0एफ/आई0डी0एफ के बिल प्रेषित नहीं किए जा सकते हैं।

2. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 के 5.1.4 Meter not recording

(1) If the meter is not displaying/not recording/stuck as reported by the consumer the Licensee shall check the meter within 30 days of receipt of complaint and if found not displaying/not recording/stuck or identified as defective (IDF), the meter shall be replaced by the Licensee within 15 days thereafter.

(2) Where the Licensee observes that current reading is lower than the previous reading (RDF), which is possibly due to current reading being less than actual, or previous reading be higher than actual or old meter having been replaced with new meter. Licensee shall investigate the matter within 30 days and meters found defective shall be replaced within 15 days else correction shall be made in the data base to set his record straight.

3- UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 के 5.1.7 Billing during the period defective/stuck/stopped/burnt meter remained at site or Stolen meter

(1) The consumer shall be billed on the basis of the average consumption of the past three billing cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stole. These Charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter.

4- टैरिफ आदेश की दर सूची (रेट शेड्यूल) की धारा-4

त्रुटिपूर्ण मीटर (ADF/IDF), मीटर पहुंच नहीं/नहीं पढ़ा (NA/NR) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामले में बिलिंग:-

NA/NR मामलों में ऊर्जा उपभोग का निर्धारण तथा बिलिंग पिछले एक वर्ष के औसत

14/02/25

14/02/2025

14/02/25
क्रमशः 3.....

उपभोग के अनुसार किया जाएगा (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार) जो कि वारताविक रीडिंग लिए जाने पर समायोजन के अधीन होगा। ऐसी अंतिम रीडिंग एक बार में दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए जारी नहीं रहेगी। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को अंतिम आधार पर कोई बिल जारी करने का अधिकार नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण प्रतीत अवस्था (ADF) त्रुटिपूर्ण मीटर (IDF) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामलों में उपभोक्ताओं की बिलिंग, मीटर के त्रुटिपूर्ण पाये जाने या त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि से ठीक पहले के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जायेगी (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार)। ये प्रभार केवल उस अधिकतम दो बिलिंग चक्रों हेतु यदि केवल द्विमासिक बिलिंग के मध्य हो, उद्ग्रहणीय होंगे, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर बदला जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को सही किये गये मीटर के बिना बिल जारी करने का अधिकार नहीं है। त्रुटिपूर्ण मीटर के मामले यथा IDF तथा ADF तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग मामले तथा RDF की जांच व बदलने का कार्य, लागू विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर परिवादी की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार बिल संशोधित कर परिवादी को सही बिल निर्गत करें। साथ ही अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य

(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

परिवाद संख्या-253/2024

दिनांक:- 14/02/2025

समक्ष बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उत्तरकाशी

उपस्थित सदस्य:

- 1 श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
- 2 श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी (तकनीकी सदस्य)
- 3 श्री संतोष भट्ट (उपभोक्ता सदस्य)

श्री अंकित नाथ पुत्र श्री जय प्रकाश नाथ प्रतिनिधि श्री जयलाल, ग्राम सिलकियारा, चिन्यालीसौंड, जिला उत्तरकाशी,

परिवादी

वनास

अभिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

प्रार्थी अंकित नाथ पुत्र श्री जय प्रकाश नाथ, ग्राम सिलकियारा, चिन्यालीसौंड, जिला उत्तरकाशी, ने 15/01/2025 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी में एक शिकायत दर्ज कराई। प्रार्थी ने लिखित रूप में बताया कि उनके कनेक्शन (संख्या UK14121414419) पूर्व से ही IDF बिल निर्गत किए जा रहे हैं और वर्तमान में NR के बिल दिए जा रहे हैं। वर्तमान में बिल की धनराशि अधिक होने के कारण जमा कर पाना संभव नहीं है। प्रार्थी ने निर्गत बिलों को संशोधित करने का अनुरोध किया है।

मंच ने शिकायत को पंजीकृत कर संख्या 253, दिनांक 30-12-2024 को प्रतिवादी/विभाग को पत्रांक 173 दिनांक 15-01-2025 को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें दिनांक 20-01-2025 को मंच के समक्ष अपने पक्ष को समस्त तथ्यात्मक विवरण एवं आपत्तियों सहित पेश करने का निर्देश दिया।

20-01-2025 को सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी विभाग ने पत्र संख्या 27, दिनांक 17-01-2025 के तहत एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि प्रार्थी के बिजली के बिल 17-01-2008 से 28-01-2016 तथा 12-09-2022 से 16-01-2025 तक IDF/NR श्रेणी के अंतर्गत जारी किए गए थे। प्रार्थी का वर्तमान बिजली बिल ₹1,47,536.00 (एक लाख सैंतालीस हजार पांच सौ छत्तीस रुपये) है। सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी विभाग ने पत्र संख्या 33, दिनांक 20-01-2025 के तहत एक और लिखित उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें मंच को सूचित किया गया कि मंच के निर्देशों का पालन करते हुए, पूर्व में जारी किए गए IDF और NR श्रेणी के बिलों को रद्द कर दिया गया है, और ₹31,944.13 (इकतीस हजार नौ सौ चौवालीस रुपये और तेरह पैसे) का संशोधित बिल जारी किया गया है। यह मामला आगे की कार्रवाई के लिए मंडल कार्यालय को भेज दिया गया है।

Subh
14/02/25

14/02/2025

14/02/25

Page 1 of 3

मंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और मामले से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा की।
प्रार्थी को 17-01-2008 से 28-01-2016 तथा 12-09-2022 से 16-01-2025 के बीच IDF/NR श्रेणी
के अंतर्गत बिल जारी किए गए थे, जो कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) के
नियमों का उल्लंघन हैं।

सभी प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन और विनियमों का विश्लेषण करने के पश्चात फोरम के
अवलोकन एवं निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :-

1. प्रार्थी के 17-01-2008 और 19-03-2008 के बिल को पिछले तीन बिलिंग चक्रों की
औसत खपत के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए तथा 15-05-2008 से 28-01-
2016 तक के बिलों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।
2. 12-09-2022 और 20-11-2022 को जारी किए गए NR श्रेणी के बिलों को संशोधित
किया जाना चाहिए तथा 15-01-2023 से 27-07-2024 तक के बिलों को निरस्त किया
जाना न्यायोचित है।
3. निरस्त किए गए बिलों पर किसी भी प्रकार की विलंब शुल्क या दंड लागू नहीं होगा।
4. परिवादी का विद्युत मापक बदलना उचित होगा ताकि भविष्य में बिलिंग समस्या
उत्पन्न न हो।

उपरोक्त निष्कर्ष उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC) (विद्युत आपूर्ति संहिता)
विनियम, 2007. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and
Related Matters) Regulations, 2020 तथा वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order) दर
सूची की धारा 4 पर आधारित हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं:

1. UERC (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 की धारा 3.2 स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट
करती है कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक NR (Non-Reading) / RDF
(Reading Defective) / IDF (Identified Defective Meter) बिल जारी नहीं किए जा
सकते।
2. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related
Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.4 (Meter Not Recording / NR Meter) के
अनुसार:
(i) यदि मीटर दर्ज नहीं कर रहा है (NR Meter), रुका हुआ है, या उपभोक्ता द्वारा
दोषपूर्ण बताया गया है, तो लाइसेंसी को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर
मीटर की जांच करनी होगी।
(ii) यदि मीटर दोषपूर्ण (IDF) या रीडिंग डिफेक्टिव (RDF) पाया जाता है, तो 15 दिनों
के भीतर इसे बदला जाना आवश्यक होगा।
3. UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related
Matters) Regulations, 2020 की धारा 5.1.7 (Billing during the period defective/
stuck/ stopped /burnt meter remained at site or stolen meter) के अनुसार:
(i) यदि कोई मीटर दोषपूर्ण (IDF), रुका हुआ, जला हुआ, या चोरी हो गया है, तो
उपभोक्ता को पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत खपत के आधार पर बिल
भेजा जाएगा।
(ii) यह प्रावधान अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक लागू रहेगा, जिसके भीतर
लाइसेंसी को दोषपूर्ण मीटर बदल देना चाहिए।

BSM
14/02/25

14/02/2025

14/02/25
Page 2 of 3



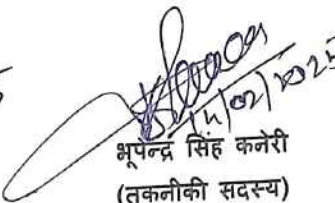
4. वार्षिक टैरिफ आदेश (Annual Tariff Order) दर सूची की धारा 4 के अनुसार:
- यदि उपभोक्ता के मीटर में खराबी पाई जाती है (IDF/RDF/NR Meter), तो बिलिंग का निर्धारण पूर्व की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा।
 - NR (Non-Reading) एवं RDF (Reading Defective) मामलों में, उपभोक्ता के बिल को पिछले एक वर्ष की औसत खपत के आधार पर समायोजित किया जाएगा।
 - NR/RDF/IDF मामलों में अधिकतम दो बिलिंग चक्रों से अधिक बिल नहीं लगाया जा सकता। यदि लाइसेंसी समय पर मीटर बदलने में विफल रहता है, तो आगे की बिलिंग मान्य नहीं होगी।
 - यदि वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध हो जाती है, तो समायोजन उसी के अनुसार किया जाएगा।
 - बिजली प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अधिभार या लेट पेमेंट फीस न लगाई जाए।

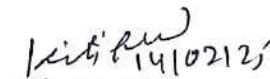
उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत स्वीकार की जाती है। मामले में निम्न लिखित आदेश दिया जाता है।

आदेश

शिकायतकर्ता का दावा स्वीकार किया जाता है और विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृत कर उपभोक्ता के बिल को संशोधित करे। विभाग 30 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। यदि शिकायतकर्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उत्तराखंड विद्युत लोकपाल (Uttarakhand Electricity Ombudsman), 80 वसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो


संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)


भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)


कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)